


जिनभाषित

वीर निर्वाण सं. 2532

श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी
जिला-दतिया (मध्यप्रदेश)



श्रावण, वि.सं. 2063

अगस्त, 2006


साधना स्वर्ग का साधन नहीं, मोक्ष का पथ है

• आचार्य श्री विद्यासागर जी

मानव ही महान् बनने की पात्रता रखता है। साधना स्वर्ग का साधन नहीं मोक्ष का पथ है। संसार, स्वर्ग और मोक्ष का अन्तर यह है कि मोक्ष के जीवों को शारीरिक, मानसिक, वाचनिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। स्वर्ग के देवों की आयु गमनागमन में व्यतीत होती है। वैभव का उपभोग एवं सुविधा का भोग करने वाले दैवीय दम्पती की कामना मानवजन्म लेकर महान् बनने की रहती है। महान् बनने की क्षमता मानव में विद्यमान है। अधर के देव धरा के जीवों के दुखों से द्रवित हो जाते हैं। संसार कितना कष्टकरी है, चारों ओर मौत मँड़रा रही है। सुख ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने वाले देवों को, आयु सीमा पूर्ण होने के छः माह पूर्व ज्ञान हो जाता है कि भोगों के छूटने का समय सन्निकट है। उदासी छा जाती है, आगामी जीवन की चिन्ता व्याप्त हो जाती है। सुदीर्घ जीवन सुखमय बीता, छह माह चिन्ता में। क्या मिलेगा, क्या मानव से महान बन सकूँगा? क्या मुक्ति मिलेगी? संसार के वृक्ष से मोह का मधुरस टपक रहा है। मोह से मुक्त हों, तो मुक्ति पथ पर पग धरें। शिशु जन्म लेता है मुट्ठी बाँधकर, गए हाथ पसार कर। मुट्ठी में बंद अनेक संभावनाएँ लेकर आए थे, लुटकर चले गए। तेल और बाती के बिना दीपक नहीं जलता, जलाने के सभी प्रयास व्यर्थ। प्राणरहित काया न टिकेगी, न डुलेगी, इसमें प्राण नहीं ढाल सकते। जो चलता था वो चला गया, जो रह गया वह निरर्थक है। अर्थी में वे जाते हैं, अग्नि में समर्पित करने के पूर्व सभी वस्त्र आभूषण उतार लेते हैं, कुछ भी साथ नहीं रहता। ज्येष्ठ पुत्र आग लगाता है। सारे सम्बन्ध समाप्त हो गए, कोई नहीं रुका। तेरह दिन पश्चात् तेरा सो तेरा, शेष सभी मेरा। संसार ठहरता नहीं, चलता रहता है। आवागमन है। याद में कोई रोता है, तो समझाते हैं 'रोओ मत', बच्चों की ओर देखो, इनका ध्यान रखो। जो गया उससे क्या नाता। जब चलता था, तब परिवार को चलाता था, सो नाता था, अब चला गया तो नाते टूट गए। संसार का यह रूप, संयोग और वियोग, कोई वस्तु नहीं, कर्मों की गति है। पराया अपना लगता था, लगना ही भ्रम है।

मोहबन्धन के विशाल वृक्ष की लटें चारों ओर फैली हुई हैं। एक ओर गहरी खाई है, दूसरी ओर सघन अंधकार युक्त कुआँ। लटों से लटके व्यक्तित्व की दशा से द्रवित देवपत्नी ने पति से सहायता करने का आग्रह किया। पत्नी के बारम्बार अनुरोध से देवपति अपना वाहन, संकट से घिरे व्यक्ति के समीप ले गया एवं संकटग्रस्त को वाहन में सवार हो जाने का निमंत्रण दिया। एक बार, दो बार, अनेक निमंत्रण पर भी वह वाहन में सवार नहीं

हुआ। वृक्ष के छते से मधुरस की बूँदे टपक रही थीं। एक बूँद मधुरस से तृप्ति नहीं मिली। कुछ बूँदे और पीलूँ, फिर वाहन में सवार हो जाऊँ। मधुरस के मधुर स्वाद के लिए आतुर संकटग्रस्त व्यक्ति को कुछ मधुमक्खियों ने काट लिया, किन्तु मधुरस का मोह टूट नहीं रहा। वन से आ रहे गजराज ने वृक्ष पर प्रहार किया। लटों में झूल रहा व्यक्ति गहन अंधकारमय कुएँ में जा गिरा। जिन लटों में वह झूल रहा था,



उन लटों को श्वेत और श्यामवर्ण के दो चूहे कुतर रहे थे। कुएँ में गिरते ही सहायता के लिए उत्सुक देव-दम्पती भी रवाना हो गए। मोह-लोभ के बंधन से सदा अंधेरे कुएँ में ही गिरना होता है। कोई बचाना चाहे तो भी बच नहीं सकते। इस बंधन से मुक्त होते ही मुक्ति का पथ दिखने लगता है। यह संसार उसी विशाल वृक्ष की भाँति है, जिसकी आयु की लटों में जीव लटक रहे हैं, इन लटों को काल मूषक काट रहे हैं। काला मूषक कृष्ण पक्ष का तो श्वेत मूषक शुक्ल पक्ष का घोतक है। विषयभोग के मधुरस की बूँदों में खोकर कालरूपी गजराज के प्रहार से बच नहीं सकते। काल आता है, तो साथ लेकर जाता है। किसी रिश्वत से काल को टाल नहीं सकते। काल अटल है। सुख की एक बूँद की लिप्सा सहायता की बार बार पुकार पर भारी पड़ती है। मधुरस की एक एक बूँद की चाह ने संसारसागर में बाँध रखा है।

धन्य हैं वे महापुरुष, जिन्होंने संसार को समझा। संसार से मुक्त होकर, मुनियों को मुक्ति का पथ दिखाया। चिंडिया द्वारा खेत चुगे जाने के पूर्व प्रबंध करना चाहिए। फलेगा वही जो बोया जाएगा। जैसा फल चाहते हैं, वैसी ही फसल के लिए उपयुक्त बीज बोने की आवश्यकता है। बीज बोने का क्रम जारी है। ऐसा बीज बोया जा सकता है कि बार बार बोने की आवश्यकता न हो। असंख्यात जीवों का आवागमन जारी है, काया से आत्मतत्त्व पृथक् है। बार बार मरण काया का होता है, आत्मा अमर है। आत्मतत्त्व के अभाव में काया जड़ हो जाती है, न हिलेगी न डुलेगी, न उठेगी। नामोनिशान मिट जाता है। नाम भी समाप्त, नाम का निशान भी समाप्त। पुराणग्रन्थों से अनेक महान् आत्माओं की गौरव गाथाओं का ज्ञान होता है, क्या जीवन था! गुणगान करते हैं, गौरव की अनुभूति होती है। अपने जीवन में इतना काम किया और ऐसा काम किया कि क्रान्ति हो गई, कांति व्याप्त हो गई। बन्द मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो राख की। राख होने के पहले जागना जरूरी है।

अगस्त 2006

मासिक जिनभाषित

वर्ष 5, अंक्ष 8

सम्पादक
प्रो. रत्नचन्द्र जैन

कार्यालय

ए/2, मानसरोवर, शाहपुरा
भोपाल- 462 039 (म.प्र.)
फोन नं. 0755-2424666

सहयोगी सम्पादक

पं. मूलचन्द्र लुहाड़िया,
(मदनगंज किशनगढ़)
पं. रत्नलाल बैनाड़ा, आगरा
डॉ. शीतलचन्द्र जैन, जयपुर
डॉ. श्रेयांस कुमार जैन, बड़ौत
प्रो. वृषभ प्रसाद जैन, लखनऊ
डॉ. सुरेन्द्र जैन 'भारती', बुरहानपुर

शिरोमणि संरक्षक

श्री रत्नलाल कंवरलाल पाटनी
(आर.के. मार्बल)
किशनगढ़ (राज.)

श्री गणेश कुमार राणा, जयपुर

प्रकाशक

सर्वोदय जैन विद्यापीठ
1/205, प्रोफेसर्स कॉलोनी,
आगरा-282002 (उ.प्र.)
फोन : 0562-2851428, 2852278

सदस्यता शुल्क

शिरोमणि संरक्षक	5,00,000 रु.
परम संरक्षक	51,000 रु.
संरक्षक	5,000 रु.
आजीवन	500 रु.
वार्षिक	100 रु.
एक प्रति	10 रु.
सदस्यता शुल्क प्रकाशक को भेजें।	

अन्तस्तत्त्व

पृष्ठ

◆ प्रवचन : साधना स्वर्ग का साधन नहीं, मोक्ष का पथ है : आचार्य श्री विद्यासागर जी	आ.पृ.2
◆ स्तवन : मुनि श्री योगसागर जी	आ.पृ.3
● श्री सुमित्रानाथ-स्तवन	
● श्री पद्मप्रभ-स्तवन	
◆ सम्पादकीय : सत्यमेव जयते	2
◆ लेख	
● प्रारंभिक प्राच्यविदों की जैनधर्म के इतिहास	4
विषयक भ्रान्तियाँ : स्व. डॉ. ज्योतिप्रसाद जी जैन	
● आचार्य कुन्दकुन्द की दृष्टि में श्रमणाभास	6
: स्व. डॉ. लालबहादुर जी शास्त्री	
● आदर्श श्रावक : प्राचार्य श्री नरेन्द्रप्रकाश जी	9
● छोटे बाबा का बड़ा काज : डॉ. सुधा मलैया	11
◆ जिज्ञासा-समाधान : पं. रत्नलाल बैनाड़ा	25
◆ कविता :	
● शास्त्र बने शास्त्र : धरमचन्द्र वाङ्मय	10
● अब डंक मत मारो : श्रीपाल जैन दिवा	25
◆ वर्षायोग : चातुर्मास 2006	26
◆ समाचार	
	31-32, आ.पृ.4

लेखक के विचारों से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

जिनभाषित से सम्बन्धित समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल ही मान्य होगा।

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा म.प्र. राज्य सरकार एवं कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के विरुद्ध माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका पर न्यायालय ने प्रारंभ में दिए हुए स्थगनादेश को आंशिक रूप से हटाकर बड़े बाबा की मूर्ति के संरक्षण के लिए आवश्यक निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी। उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग ने पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत की थी। अद्वालु श्रावकजनों के पुण्योदय से माननीय उच्चतम न्यायालय ने वह एस.एल.पी. स्वीकृति के स्तर पर ही निरस्त कर दी। इस निर्णय से यह प्रतिफलित हुआ है कि बड़े बाबा की मूर्ति के स्थानांतरण के पश्चात् उसकी सुरक्षा के लिए मंदिरनिर्माण को माननीय उच्चतम न्यायालय ने उचित ठहराया है। इस समस्त घटनाक्रम ने देश के सम्पूर्ण दि. जैन समाज के मन मस्तिष्क को आंदोलित किया है। किंतु कुछ लोग सार्वजनिकरूप से घटनाक्रम को तोड़-मरोड़कर विकृत रूप में प्रचारित कर समाज को भ्रमित करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। यहीं तक नहीं, अपितु कुछ लोग प्रच्छन्नरूप से न्यायालय में दिगम्बर जैन समाज के हितों के विरुद्ध विपक्ष की सहायता करने की सीमा तक भी चले गए हैं।

वस्तुतः उक्त घटना दिगम्बर जैन समाज को एक बार फिर झकझोर कर अपने धर्मायतनों की सुरक्षा एवं अपनी अस्मिता के अस्तित्व के प्रश्न पर गहन चिंतन करने को विवश करती है। स्वतन्त्र भारत के इतिहास में दिगम्बर जैन समाज की अपने धर्मायतनों एवं धर्म तीर्थों के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण की स्वतन्त्रता पर आक्रमण की यह प्रथम घटना है। दिगम्बर जैन समाज के स्वामित्व के 100 वर्ष से अधिक प्राचीन हजारों जिनालय एवं सैकड़ों तीर्थक्षेत्र आज भारत भूमि पर हैं, जिनकी सुरक्षा एवं अपनी आवश्यकतानुसार निर्माण अथवा पुनर्निर्माण करने तथा पूजा-अर्चना करने का अधिकार दिगम्बर जैन समाज को है और उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप पुरातत्त्व विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। कुंडलपुर तीर्थक्षेत्र पर भी प्रारंभ से दिगम्बर जैन समाज का स्वामित्व रहा है और उसकी सुरक्षा एवं देखरेख के लिए क्षेत्र कमेटी का गठन किया जाता रहा है। समय-समय पर क्षेत्र कमेटी समाज के हित में नव निर्माण, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण करती रही है, जिसमें कभी भी पुरातत्त्व विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। पूर्व में कुंडलपुर के मंदिरों को केवल म. प्र. प्रांतीय राज्य की पुरासंपत्ति की सूची में अंकित किया गया था। किंतु केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा कभी भी विधिवत् उन्हें राष्ट्रीय संरक्षित मान्यूमैट्स की परिधि में नहीं लाया गया और न वहाँ कभी नियमानुसार नीला बोर्ड लगाया गया और न विभागीय चौकीदार ही रखे गए। यह भी उल्लेखनीय है कि कुंडलपुर के मंदिरों के रख रखाव पर पुरातत्त्व विभाग ने कभी एक पैसा भी खर्च नहीं किया।

कुंडलपुर तीर्थक्षेत्र के प्रति देश के दिगम्बर जैन समाज के आकर्षण का मुख्य कारण बड़े बाबा की विशाल, अतिशयकारी, भव्य मूर्ति रही है। उस भव्य मूर्ति के छोटे जीर्ण-शीर्ण मंदिर के जीर्णोद्धार एवं विस्तार के लिए क्षेत्र कमेटी एवं क्षेत्र से जुड़ा दिगम्बर जैन समाज गत अनेक वर्षों से चिंतित था। अनेक बार अनेक प्रकार की योजनाओं पर विचारविमर्श होता रहा। इसी बीच भूविज्ञानशास्त्र के विशेषज्ञों की राय भी ली गई और एक भूकंपरोधी विशाल भव्य नवीन मंदिर के निर्माण की योजना सामने आई। इस योजना को देश के सम्पूर्ण दिगम्बर जैन समाज की विशाल सभा में सन् 2001 में अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, अ.भा.दि.जैन विद्वत् परिषद्, शास्त्री परिषद् एवं समस्त दिगम्बर जैन समाज ने एक स्वर से नए मंदिर के निर्माण की योजना का समर्थन किया और साथ ही मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने मंदिरनिर्माण का समर्थन करते हुए उसके लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग की घोषणा की। तभी नवीन विशाल मंदिर के निर्माण कार्य को प्रगति मिली।

तथापि अत्यंत खेद की बात है कि यह नवीन भव्य मंदिर का निर्माण एवं क्षेत्र का विकास अपनों में से ही कुछ,

किन्हीं कारणों से असंतुष्ट हो विद्वेष रखनेवाले, लोगों की आँखों की किरकिरी बन गया। उन लोगों ने पुरातत्त्व विभाग के अधिकारियों को शिकायत कर मंदिर के निर्माणकार्य को एवं बड़े बाबा की मूर्ति के स्थानांतरण को रुकवाने के लिए भारी दबाव डाला। परिणामस्वरूप पुरातत्त्व विभाग द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई। यद्यपि पुरातत्त्व विभाग को नवीन मंदिर के निर्माण एवं पुराने मंदिर से मूर्ति के स्थानांतरण को रोकने का कोई विधिसम्मत अधिकार नहीं है।

इस संकट के अवसर पर दिग्म्बर जैन समाज को क्या करना चाहिए यह महत्त्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। हमारे बीच किसी बात पर आंतरिक मतभेद हो सकते हैं, किंतु यदि कोई बाहरी शक्ति हमारे धर्मायतनों पर आक्रमण करे, तो क्या हम सबको एकजुट संगठित होकर पारस्परिक मतभेदों को गौण कर आक्रमणकर्ता से संघर्ष कर अपने धर्मायतनों की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए ? क्या हमारे आंतरिक विचार-भेदों के कारण हम अपने धर्मायतनों पर आक्रमण करनेवालों को सहायता देकर स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं ? यह हमारा आत्मघाती कदम हमारे अस्तित्व एवं हमारी अस्मिता पर भारी संकट ला सकता है।

तथापि कुंडलपुर तीर्थ पर आए इस वर्तमान संकट पर विजयप्राप्ति के लक्षण उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश हटाने एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः स्थगनादेश लगाने से इंकार करने का स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कुंडलपुरक्षेत्र-कमेटी सत्य पर है। कमेटी के समर्थन के देश के समस्त दिग्म्बर जैन समाज की श्रद्धापूर्ण भावनाएँ हैं। एक दिन अवश्य ही जन-जन की भावनाओं के अनुकूल, बड़े बाबा की भव्यता के अनुरूप ही विशाल भव्य मंदिर पूरा होगा और हम सब उस मंदिर की छत के नीचे बैठकर बड़े बाबा के दर्शनपूजन कर पायेंगे। सत्य की विजय होती है।

मूलचंद लुहाड़िया

अनुभूत रास्ता

विहार करता हुआ पूरा संघ अकलतरा की ओर बढ़ रहा था। वहाँ जाने के लिए दो रास्ते थे- एक पक्की सड़क से होकर और एक कच्चे रास्ते से होकर जाता था। कच्चा रास्ता दूरी में कम पड़ता था। वहाँ पर अनेक लोगों ने अपने-अपने ढंग से रास्ता बताया। कुछ महाराज पहले ही बताये गये रास्ते से आगे निकल गये। एक वृद्ध दादा जी ने आकर बताया कि बाबाजी आप लोग तो सीधे इसी रास्ते से निकल जाइये, आप जल्दी पहुँच जायेंगे और रास्ता भी ठीक है। मैं इस रास्ते से अनेकों बार आया-गया हूँ। तब आचार्यश्री के साथ हम सभी मुनि उसी रास्ते पर चल दिये। आगे चलकर देखा रास्ता एकदम साफ-सुथरा था एवं दूरी भी कम थी। आचार्यश्री ने कहा - देखो उस वृद्ध का बताया हुआ रास्ता एकदम सही है, क्योंकि वह अनुभूत रास्ता है। इसी प्रकार मोक्षमार्ग में हर किसी के बताये रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि जो अनुभूत कर चुके हैं, ऐसे ही वीतरागी गुरु के बताये रास्ते पर चलना चाहिए। तभी हम जल्दी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

मुनिश्री कुंथसागर-संकलित 'संस्मरण' से साभार

प्रारंभिक प्राच्यविदों की जैन धर्म के इतिहास-विषयक भ्रान्तियाँ

डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन

आधुनिक युग में जैनधर्म का इतिहास प्रारंभिक यूरोपवासी प्राच्यविदों के हाथ का चिरकाल पर्यन्त खिलौना बना रहा। इसका एक कारण यह रहा कि जैनधर्म और उसकी संस्कृति का अध्ययन करने के बहुत पूर्व ही वे लोग बौद्धधर्म का पूरी तरह, और हिन्दू (ब्राह्मण) धर्म की परम्परा का भी पर्याप्त अध्ययन कर चुके थे। दूसरे, जैनधर्मविषयक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो जैन पुस्तकें उन्हें प्रारंभ में उपलब्ध भी हुईं, वे नितांत अपर्याप्त, सदोष, सन्दिग्ध कोटि की और अविश्वसनीय थीं। ब्राह्मण पंडितों ने भी साम्प्रदायिक विद्वेषवश जैनधर्म को समझने में उनकी कोई सहायता नहीं की। परिणाम यह हुआ कि वे प्राच्यविद् जैनधर्म को उत्तरकालीन बौद्धधर्म की एक शाखा अथवा विरोधस्वरूप उससे कटकर अलग हुआ उसका एक सम्प्रदाय मात्र मान बैठे। इस प्रकार कई दशकों पर्यन्त जैनधर्म की वास्तविक ऐतिहासिक स्थिति अन्धकाराच्छन्न बनी रही। सुप्रसिद्ध जर्मन प्राच्यविद् डॉ. हर्मन जैकोवी ने, गत शताब्दी के अन्त के लगभग, यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि “हम लोग जैनधर्मविषयक वस्तुस्थिति की अभी हाल में ही ठीक-ठीक समझ पाये हैं। उसके पूर्व यह विश्वास किया जाता था कि वह बौद्धधर्म की ही एक शाखा है। कारण यह था कि उस समय पाश्चात्य विद्वान् बुद्ध और बौद्धधर्म से भली-भाँति परिचित हो चुके थे और क्योंकि उसकी जन्मभूमि भारतवर्ष के बाहर अनेक एशियाई देश उस धर्म के अनुयायी हैं, स्वभावतः उसे ही अन्य सदृश धर्मों का जनक मान लिया गया, और लगता था कि जैनधर्म भी उन्हीं में से एक है।”¹

जैन-धर्म को बौद्ध-धर्म की शाखा मान लेने पर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वह मूल (बौद्ध) धर्म से कब पृथक् होकर उदय में आया? इस प्रश्न का समाधान भी चीनी पर्यटक युवानच्चांग (629-645 ई.) के यात्रा-वृत्तांत में सहज ही प्राप्त कर लिया गया। उत्तर भारत की अपनी यात्रा में यह चीनी भिक्षु पंजाब में स्थित सिंहपुर नामक स्थान में भी पहुँचा था, जहाँ संभवतया श्वेताम्बर जैन यतियों का एक अधिष्ठान विद्यमान था। उनकी वेषभूषा, रहन-सहन और आचार-विचार में अपने भारतीय सहधर्मियों (बौद्धों) के साथ बाह्य साम्य लक्ष्य करके युवानच्चांग ने यह निष्कर्ष

निकाल लिया कि “यहाँ सिंहपुर में ही इन श्वेतवसन साम्प्रदायिकों के आद्य गुरु ने बोधि प्राप्त की थी और अपने द्वारा आविष्कृत मत का प्रथम उपदेश दिया था।”² सुदूर चीन देश से आये सातवीं शती ईस्वी के इस बौद्ध तीर्थयात्री के उपरोक्त अस्पष्ट एवं चलतऊ कथन पर से उसके यात्रा-वृत्तांत के प्रसिद्ध आंग्ल अनुवादक टामस वाटर्स ने तथा उसकी पुस्तक के सम्पादकों ने यह प्रतिपादित कर दिया कि “इस चीन यात्री के मतानुसार जैन-धर्म बौद्ध धर्म का परवर्ती है और मुख्यतया उसी में से निकला है।”³

आश्चर्य की बात यह है कि यही चीनी यात्री अपने वृत्तांत में अनेक स्थलों पर कियापिशि (कैप्सिया या काबुल) से लेकर कुमारी अन्तरीप और बंगाल एवं उड़ीसा से लेकर पश्चिमी समुद्रतट पर्यन्त अपनी यात्रा में प्रायः सर्वत्र मिले जिन प्राचीन निर्गन्धों (लि. हि. अर्थात् निर्गन्ध परम्परा के दिगम्बर मुनियों) की, उनके देव मंदिरों की, अधिष्ठानों की और उनके अनुयायी नरेशों एवं जन-समुदायों की विद्यमानता का स्पष्ट उल्लेख करता है।⁴ उनका समीकरण तो उक्त विद्वानों ने जैनों के साथ किया नहीं, और उसके द्वारा उल्लेखित ‘सिंहपुर के श्वेतवसन हेरेटिक्स’ को ही वे तत्कालीन जैनों के एकमात्र प्रतिनिधि मान बैठे।

संभवतया प्रोफेसर होरेस विल्सन ही वह विद्वान् था, जिसने उपर्युक्त लचर आधार को लेकर इस मत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया कि जैनधर्म बौद्धधर्म की ही एक शाखा है, जो सातवीं शती ई. में उस समय उदय में आई जबकि स्वयं बौद्धधर्म इस देश में द्रुतवेग से तिरोहित हो रहा था।⁵ -लेसन, बार्थ, हन्टर, वेबर तथा अन्य अनेक विद्वानों ने इस मत का अनुकरण किया। उनमें से कई ने तो यह भी स्पष्टतया स्वीकार किया कि जैनधर्म के सम्बन्ध में उनकी जानकारी अभी भी अपर्याप्त एवं अपूर्ण थी।⁶ उस मत के प्रभूत प्रचार का श्रेय सर रोपर लेथब्रिज की पुस्तक ‘हिस्ट्री ऑफ इंडिया’ को है। इन प्रारम्भिक इतिहासकारों में से एलफिन्स्टन प्रभृति कई एक ने तो जैनधर्म के पूरे इतिहास को केवल पाँच शताब्दियों के भीतर ही सीमित कर दिया, और कह डाला कि सातवीं शती ई. में इस धर्म का उदय हुआ, आठवीं-नौवीं में इसका प्रचार और फैलाव हुआ, दसवीं शती में यह अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच गया, ग्यारहीं-

बारहवीं शतियों में इसका पतन हो गया और तदनन्तर एक छोटे से गौण सम्प्रदाय के रूप में प्राचीन बौद्धधर्म का उसकी जन्मभूमि में प्रतिनिधित्व करता हुआ रहता आया है।¹

जैनधर्म बौद्धधर्म की शाखा है, इस मत को किस प्रकार बल मिला, इस बात पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जैकोबी कहते हैं कि “संस्कृत भाषा एवं प्राच्य विद्या के आंग धंडितों में सर्वप्रमुख कोलब्रुक ने जैनधर्म के विषय में सही जानकारी दी थी। उसने स्वयं को उन निराधार मतवादों से भी मुक्त रखा था, जिनमें भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करनेवाले उस काल के विद्वान् सहज ही ग्रस्त हो जाते थे। वस्तुतः वह ऐसा समय था जब कार्यकारी प्रतिपत्तियों, स्थापनाओं और मतों को लेकर चले बिना काम नहीं चलता था। जैनधर्म और बौद्धधर्म के ऊपरी प्रत्यक्ष सादृश्य ने ही उपर्युक्त धारणा को जन्म दिया। होरेस विल्सन जैसे प्रमाणिक विद्वान् की तट्टिषयक धारणा ने कि जैनधर्म बौद्धधर्म से अपेक्षाकृत बहुत पीछे पृथक् हुआ है, इस मत को आमतौर पर प्रचारित कर दिया। परन्तु स्वयं उसके गुरु अल्ब्रेट वेबर ने विल्सन के मत में संशोधन करके बौद्धधर्म में से जैनधर्म के निकलने का समय चौथी शताब्दी ईसापूर्व निर्धारित किया था।⁹ निश्चय ही इस संशोधन का कारण यह था कि अशोक के शिलालेखों में, जो अब पढ़े जा चुके थे, जैन (निर्ग्रन्थ) धर्म का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है।¹⁰ इसके विपरीत, मैक्समूलर और ओल्डलर्बर्ग यह मानते थे कि बौद्ध ग्रन्थों के निंगंठनात्पुत्त ही महावीर थे और वह बुद्ध के समसामयिक थे।¹¹ फ्रांसीसी विद्वान् डॉ. गेरिनाट ने वर्द्धमान और गौतम बुद्ध के बीच पाँच भिन्नताओं की ओर विद्वानों की दृष्टि आकर्षित की, यथा दोनों के जन्म-विषयक वर्णन, दोनों की जननियों का निधन कैसे हुआ, दोनों के गृहत्याग, ज्ञानप्राप्ति और निर्वाण।¹² वस्तुतः जैसा कि डॉ. राधाकृष्णन ने कथन किया है, “भारतीय परम्परा तो जैन और बौद्ध-दोनों धर्मों को सदैव से स्पष्टतया पृथक् एवं स्वतंत्र मानती आई है। हिन्दू शास्त्रों ने कभी भी उन दोनों को अभिन्न नहीं प्रतिपादित किया। उक्त शास्त्रों के साक्ष्य की गेरिनाट, जैकोबी, ब्लूलर प्रभृति अनेक विद्वानों के अन्वेषणों से पुष्टि होती है।”¹³ मोशियो पुशिन का तो विश्वास था कि ‘जैन तो एक सशक्त साधुसंघ था जिसका उदय अथवा पुनर्गठन शाक्यमुनि (बुद्ध) के उदय के कुछ काल पूर्व ही हो चुका था।’¹⁴ कोलब्रुक तो बहुत पहले ही यह विश्वास प्रगट कर चुका था कि जैनधर्म बौद्धधर्म का पूर्ववर्ती है, क्योंकि वह प्रायः प्रत्येक पदार्थ में जीव की सत्ता स्वीकार करता है।¹⁵

अस्तु डॉ. जैकोबी के तत्सम्बन्धी गवेषणा के क्षेत्र में पदार्पण करने के समय तक यह मान्यता बन चली थी कि जैनधर्म बौद्धधर्म से स्वतंत्र है और छठी शती ईसा पूर्व में हुए वर्द्धमान महावीर इस धर्म के संस्थापक हैं, तथा यह भी कि बौद्धधर्म की भाँति जैनधर्म भी तत्कालीन ब्राह्मणधर्म के विरोध में उत्पन्न हुआ एक सुधारक धर्म था। जैकोबी ने अपनी खोजों से यह निर्विवाद सिद्ध कर दिया कि जैनधर्म सर्वथा स्वतंत्र एवं अत्यन्त प्राचीन धर्म है।¹⁶ शनैः शनैः 23वें तीर्थकर पाश्वनाथ और 22वें तीर्थकर नेमिनाथ की भी ऐतिहासिकता स्वीकार कर ली गई और यह भी माना जाने लगा कि प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ही इस परम्परा के प्रथम पुरस्कर्ता रहे प्रतीत होते हैं तथा यह कि उसकी प्राचीनता प्राग्वैदिक काल तक ले जाई जा सकती है।¹⁷

पाद टिप्पणियाँ

1. अंग्रेजी जैन गजट, 1914, पृ. 169 (राजकोट में दिया भाषण)
2. प्रोग्रेस रिपोर्ट, हिन्दू एंड बुद्धिस्ट मोनमेंट्स, लाहौर 1920, पृ. 12
3. आन युवान च्वांग्स ट्रेवल्स इन इंडिया, लंदन, 1904 भाग 1 पृ. 252
4. वही, दोनों भाग
5. एच विल्सन, इंडियन बुद्धिज्म, सी. आर. IV, 1 पृ. 241-281
6. बार्थ, रिलीजन्स आफ इंडिया, पृ. 148-150
7. एलफिन्स्टन, हिस्टरी आफ इंडिया, पृ. 121
8. जैन गजट, जनवरी 1914, पृ. 8 कोलब्रुक मिस. एसेज, II, पृ. 276, वेबर-हिस्टरी आफ इंडियन लिटरेचर (1882), पृ. 296-7
9. स्मिथ - अशोक, पृ. 192-193
10. मैक्समूलर, दी सिक्स सिस्टम्स आफ फिलास्फी नेचुरल, ओल्डेन वर्ग-दी बुद्धा रिलीजन
11. गेरिनाट - दर जेनिस्मस
12. इंडियन फिलास्फी, भा. 1, पृ. 291
13. दी वे टु निर्वाण, पृ. 67,
14. मिस्सलेनियस एसेज, II, पृ. 276
15. सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट, भा 22 एवं 45 की भूमिकाएँ
16. ज्योति प्रसाद जैन-जैनिजम, दी ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन (वाराणसी, 1951) इस पुस्तक में जैकोबी की खोजों का तथा उससे आगे क्या प्रगति हुई, उस सबका विवेचन है।

‘पं. सुमेरुचन्द्र दिवाकर अभिनन्दन ग्रन्थ’ से साभार

आचार्य कुन्दकुन्द की दृष्टि में श्रमणाभास

डॉ. लालबहादुर शास्त्री, दिल्ली

आचार्य कुन्दकुन्द अपने समय के युग-प्रतिष्ठापक आचार्य हो गये हैं। भगवान् महावीर की परम्परा में अनुबद्धकेवलियों के बाद भारतीय आचार्यों की एक लम्बी परम्परा रही है, जिनमें द्वादशाङ्क के ज्ञाता, 11 अंग दश पूर्व के ज्ञाता, 11 अंगों के ज्ञाता, 11 अंग का एकदेश ज्ञान रखनेवाले, आचारांग्क के ज्ञाता आदि अनेक महात्रघिष्ठ हुए हैं। इस अनुबद्ध परम्परा में यद्यपि आचार्य कुन्दकुन्द का नाम नहीं आता, फिर भी आचार्य कुन्दकुन्द ने श्रमण धर्म की रक्षा के लिये जो अथक प्रयत्न किये हैं, इससे उनका अपना स्थान एक पृथक् ही है और वह पृथक्त्व इस बात से सिद्ध होता है कि शास्त्र-प्रवचन के प्रारम्भ में जो लम्बा मंगलाचरण किया जाता है, उसके अन्त में मंगलस्तोत्र करते हुए कहा गया है -

मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी ।
मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोस्तु मङ्गलम् ॥

इस श्लोक में भगवान् महावीर एवं गौतम गणधर के बाद आचार्य कुन्दकुन्द का नाम लिया गया है। 12 वर्ष के दीर्घकालीन दुर्भिक्ष के बाद दिग्म्बर परम्परा में जो महाविकृति आ गई थी, उसे दूर करने कोई आचार्य सामने नहीं आये थे। आचार्य कुन्दकुन्द ही थे जिन्होंने इस विकृतिका सामना किया और पाहुड़ ग्रन्थों की रचनाकर मूलश्रमण धर्म को उजागर किया। यही कारण था कि कृतज्ञ समाज ने बाद में आचार्य को मूल आमाय का प्रतिष्ठापक माना।

इन्हीं आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने समय के अनेक ऐसे जैन श्रमणों की, जिनकी चर्चा शास्त्र के प्रतिकूल थी, आलोचना की है। उन्हें जैन शास्त्रों में श्रमणाभास नाम से कहा गया है। उन्होंने अपने अष्टपाहुड़ ग्रन्थ के अन्तर्गत सूत्रपाहुड़ में निम्न प्रकार उल्लेख किया है -

उक्तिकट्ठ सीहचरियं वहुपरियम्पो य गरुयभारो य ।
जो विहरइ सच्छंदं पावं गच्छदि होदि मिच्छत्तं ॥ 9 ॥

अर्थ - जिसकी उत्कृष्ट सिंहचर्चा है, जो बहुपरिकर्मा है अर्थात् अनेक प्रकार सिंहनिष्ठीडितादि तपश्चरणों को करता है, जिसके ऊपर गुरुभार है अर्थात् जो संघ को सब तरह से निश्चिन्त रखता है, यदि वह भी स्वच्छन्द विहार

करे, तो उसे पाप लगता है और वह मिथ्यात्व का भागी होता है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि कुन्दकुन्द के समय में कुछ श्रमण थे, जो स्वच्छन्द विचरण करते थे और उनके इस स्वच्छन्द विहार पर कुन्दकुन्द को आपत्ति थी।

भावसंग्रह आदि ग्रन्थों में जिनकल्पी और स्थविरकल्पी इस प्रकार श्रमणों के दो रूपों का वर्णन है। जिनकल्पी मुनि उत्तम संहनन के धारी होते हैं। ऐर में काँटा अथवा आँख में रजकण जाने पर भी वे स्वयं नहीं निकालते, न किसी से निकालने को कहते हैं, सदा एकलविहारी होते हैं। किन्तु स्थविरकल्पियों को यह आदेश है कि वे संघ में साथ रहकर विहार करें। इस पंचम काल में उत्तम-संहनन के धारी नहीं होते, अतः स्थविरकल्पी बनकर रहना ही उनके लिये उचित मार्ग है। अतः जो इस मार्ग को छोड़कर स्वच्छन्द विहार करते हैं, वे आ. कुन्दकुन्द की दृष्टि में स्वेच्छाचारी हैं और स्वेच्छाचारियों के विषय में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। आगे इसी पाहुड़ में उन्होंने सच्चे साधुओं का स्वरूप बतलाते हुए पुनः उन श्रमणाभासों की ओर संकेत किया है-

जस्स परिग्गहगहणं अप्पा वहुयं च हवड़ लिंगस्स ।
सो गरहित जिण वयणं परिगहरहितो निरायरो ॥ 19 ॥

अर्थ - जो साधु थोड़ा या बहुत परिग्रह रखता है, वह निन्दनीय है, क्योंकि श्रमण सर्वथा परिग्रह रहित होता है।

णवि सिङ्गड़ वत्थथरो जिणसासणे जड़ वि होइतित्थयरो ।
णग्गो विमोक्खमग्गो, सेसा उम्मग्गया सव्वे ॥

अर्थ - जैनशासन में वस्त्रधारी कभी मोक्ष नहीं जा सकता, भले ही वह तीर्थकर क्यों न हो। केवल एक नग्नता ही मोक्षमार्ग है, शेष सब उन्मार्ग हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा दिये गये ये प्रकरण बतलाते हैं कि कुछ श्रमण नग्नता के प्रतिकूल वस्त्रों को भी अपनाते थे। सूत्रपाहुड़ में और भी ऐसे ही प्रकरण हैं, जिनसे उस समय श्रमणाभासों की बहुलता का बोध होता है।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी श्रमणाभास थे, जिनका आगम में स्पष्ट वर्णन है और उनके लक्षण दिये हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने भी उनकी ओर संकेत किया है। उनका भावपाहुड़ देखिये, वे लिखते हैं-

पासत्थ भावणाओ अणाइ कालं अणेय वाराओ ।
भाऊण दुहं पत्तो कुभावणा भाव बीएहि ॥ 14 ॥

अर्थात् पार्श्वस्थ आदि भावनाओं को अनादि काल से अनेक प्रकार भाकर इस जीव ने कुभावना के फल से अनेक दुःख उठाये हैं।

ऊपर जिस पार्श्वस्थ भावना की चर्चा की है, वह भावना 5 प्रकार की है - पार्श्वस्थ, कुशील, संसत्त, अवसन्न और यथाछंद। वास्तव में ये पाँच प्रकार के श्रमणाभास हैं, जिनकी प्रवृत्ति को यहाँ भावना रूप में उल्लिखित किया है। कुन्दकुन्द के समय में इनका भी पर्याप्त प्रचार था। इस सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन इस प्रकार है।

अन्य भगवती-आराधना आदि ग्रन्थों में इनका क्रम इस प्रकार है- अवसन्न, पार्श्वस्थ, कुशील, संसत्त, यथाछंद। जैसा कि निम्न गाथा से प्रकट है-

किं पुण जो ओसण्णा णिच्चे जे बावि णिच्च पासत्था ।
जे वा सदा कुसीला संसत्ता वा जहाछंदा ॥ भ. आ.

इस गाथा में पाँचों श्रमणाभासों का क्रम दिया है। इनमें अवसन्नसाधु उन्हें कहते हैं जो कीचड़ में फँसे हुए मार्गभृष्ट पुरुष की तरह आचरण करते हैं। ये उपकरणों में आसक्ति रखते हैं, वसतिका, आसन के प्रतिलेखन में, स्वाध्याय में, विहार भूमि के शोधन में, आहारशुद्धि में, ईर्यासमिति आदि के पालन में, स्वाध्यायकाल के अवलोकन में, स्वाध्याय के समाप्त करने में, चर्या में प्रमादी और अनुत्साहित रहते हैं, घड़ आवश्यक पालन करने में आलसी रहते हैं। एकान्त या जनसमुदाय में उन आवश्यकों का पालन करते हुए भी, उन्हें केवल वचन और काय से करते हैं, भावपूर्वक नहीं करते। इस प्रकार चारित्र-पालन में जो कष्ट का अनुभव करते हैं, वे अवसन्न-साधु हैं।

पार्श्वस्थ साधु का शब्दार्थ है-पास में स्थित अर्थात् जैसे कोई पथिक मार्ग को जानता हुआ भी उस मार्ग से हटकर उसके समानान्तर चले तो वह मार्ग-पार्श्वस्थ कहलाता है, वैसे ही यह पार्श्वस्थसाधु भी निरतिचार संयममार्ग को जानता है, तो भी उसपर नहीं चलता, किन्तु संयममार्ग के समीप चलता है। वह साधु एकान्ततः असंयमी भी नहीं है, और न निरतिचार संयम ही पालन करता है। वसतिका के निर्माता, उसका संस्कार करनेवाले तथा “आप ठहरिये” इस प्रकार कहकर साधु को वसतिका देनेवाले तीनों ही

शय्याधर कहलाते हैं। उनके यहाँ नित्य आहार लेना (जो नहीं लेना चाहिये), आहार के पूर्व और पश्चात् दाता की प्रशंसा करना, उत्पाद एषणा आदि दोषों से दूषित आहार ग्रहण करना, नित्य एक ही वसति में रहना, एक ही संस्तर पर सोना, एक ही क्षेत्र में रहना, गृहस्थों के घर के या अन्दर बैठना, गृहस्थों के उपकरणों से अपना काम करना, दुःप्रमार्जित या अप्रमार्जित वस्तु ग्रहण करना, सुई, कैंची, नखच्छोटिका (नहनी), संडासी, सिल्ली, उस्तरा, कर्णमल निकालने की सींक, चमड़ा इत्यादि ग्रहण करना। सीना, धेना, झटकना, रंगना आदि कामों में लगे रहना, ये सब पार्श्वस्थसाधु के लक्षण हैं। जो क्षार, चूर्ण, सौवीर, नमक, धी आदि पदार्थों का अपने साथ रखते हैं, वे भी पार्श्वस्थ हैं। उपकरणबकुश साधु जो रात्रि में यथेष्ट शयन करते हैं, इच्छानुसार संस्तर का खूब उपयोग करते हैं, वे भी पार्श्वस्थ साधु हैं तथा दिन में सोनेवाले देहबकुश साधु भी पार्श्वस्थ हैं। जो पैर धोते हैं, तेल की मालिश करते हैं, गण का पोषण कर आजीविका करते हैं, वे पार्श्वस्थ साधु हैं।

कुत्सितशीलवाले साधु कुशील कहलाते हैं। ये कुशील साधु अनेक प्रकार के होते हैं, इनमें कोई कौतुकशील साधु होते हैं, जो औषधि विलेपन एवं विद्याओं के प्रयोग से राजद्वारों पर कौतुक दिखाकर सौभाग्य प्राप्त करते हैं। कोई भूतिकर्मकुशील होते हैं, जो मंत्रित की गई भूति से, धूलि से, सरसों से, फूलों से, जल से किसी की रक्षा या किसी को वश में करते हैं। कोई प्रसेनिकाकुशील होते हैं, जो अंगुष्ठ प्रसेनिका, अक्षरप्रसेनी, प्रदीपप्रसेनी, शशिप्रसेनी, स्वप्नप्रसेनी आदि विद्याओं के द्वारा लोकरंजना करते हैं। कोई अप्रसेनिककुशील होते हैं, जो विद्या, मंत्र, औषध प्रयोगों से असंयमियों की चिकित्सा करते हैं। कोई निमित्त-कुशील होते हैं, जो अष्टांगनिमित्त ज्ञान से लोगों को फलादेश कहते हैं। कोई आजीवकुशील होते हैं, जो अपनी जाति व कुल का प्रकाश कर भिक्षादि प्राप्त करते हैं अथवा किसी के उपद्रव के कारण दूसरे की शरण में जाते हैं या अनाथशाला में प्रवेशकर अपनी चिकित्सा कराते हैं। इसी तरह और भी अनेक कुशील-साधु होते हैं, जो इन्द्रजाल, परद्रव्यहरण आदि के अनेक कौतूहल दिखलाते हैं।

चौथे संसक्त-मुनि होते हैं, जिनकी दुतरफा प्रवृत्ति होती है अर्थात् चारित्रप्रिय मुनियों में चारित्रप्रेमी बन जाते हैं और अप्रियचारित्रवालों में अप्रिय-चारित्री बन जाते हैं। ये

नट के समान अनेक रूपों को धारण करते हैं, पंचेन्द्रिय विषयों में आसक्त रहते हैं, ऋद्धिगारव, रसगारव एवं सातगारव में आसक्त रहते हैं। स्त्री के विषय में संक्लिष्ट परिणाम रखते हैं, गृहस्थों से अत्यन्त प्रेम करते हैं। अवसन्न मुनियों में अवसन्न, पार्श्वस्थों में पार्श्वस्थ, कुशीलों में कुशील और स्वच्छन्दों में स्वच्छन्द बन जाते हैं। यही इनका नट के समान आचरण है।

यथाछन्द मुनि - जो आगम के विरुद्ध स्वेच्छाकल्पित पदार्थों का निरूपण करते हैं अर्थात् वर्षा होने पर जल से भीग जाना असंयम है, छुरे या कैंची से केशों का कर्तन कराना कोई दोष नहीं है, क्योंकि जानबूझकर अपने को कष्ट देना आत्म-विराधना है, तुण्पुंज में भूमिशश्या बनाकर उसमें रहने से जीवों को कोई बाधा नहीं होती, उद्धिष्ठ भोजन में कोई दोष नहीं है। आहार के लिये सारे गाँव में घूमने से जीवहिंसा होती है, अतः किसी एक घर में जाकर भोजन करने से साधु को कोई दोष नहीं है; पाणिपात्र से आहार करने से परिशातन दोष आता है, इत्यादि शास्त्र के विरुद्ध निरूपण करते हैं।

इस प्रकार इन पाँच श्रमणाभासों के उल्लेख आगम में मिलते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द के समय में इनका अत्यधिक प्रचार था। अतः कुन्दकुन्द ने पार्श्वस्थ आदि भावनाओं से अनेक दुःखों का उठाना फल लिखा है। उक्त आचार्य जिस यथाछन्द श्रमणाभासों के वर्णन में यह लिख आये हैं कि ये

यथाछन्द मुनि किसी समय भी ठीक आचरण पालनेवाले नहीं हो सकते, उनकी कुछ झाँकी मोक्षपाहुड़ में भी दी है। वे लिखते हैं कि “‘चारित्रमोह से युक्त, व्रत समिति से रहित, शुद्ध भावों से भ्रष्ट कोई ऐसा कहते हैं कि यह काल ध्यान के योग्य नहीं है। ‘कोई अभव्य पुरुष जो सम्यक्वज्ञानहीन और मोक्षमार्ग से वियुक्त है तथा संसारसुखों में अनुरक्त है, कहता है यह काल ध्यान करने योग्य नहीं है।’ लेकिन यह सब गलत है, क्योंकि आज भी भरतक्षेत्र, दुःषमाकाल में आत्मस्वभावरत साधु के धर्मध्यान होता है, जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है।” (मोक्ष पाहुड़ गाथा 73, 74, 75, 76)।

इस तरह अवसन्न, पार्श्वस्थ आदि साधु मनमाना आचरण कर रहे थे। उनके प्रतिरोध का कोई उपाय न था। इन सब स्थितियों को देखकर आचार्य कुन्दकुन्द ने दो तरह से प्रयत्न किया। ये प्रयत्न विघटनात्मक और सृजनात्मक थे। चारित्र-भ्रष्ट, सम्यक्त्व-शून्य, विकृत वेष बनानेवाले तथा उन्मार्गप्रवृत्ति चलानेवालों की मान्यताओं का खण्डन किया और व्यवहारधर्म की उचित व्यवस्था की, साथ ही; पंचास्तिकाय, समयसार और प्रवचनसारकी रचना कर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र के स्वरूप का विकास विस्तार से किया।

‘बाबूलाल जैन जमादार अभिनन्दनग्रन्थ’ से साभार

फूल नहीं कांटे

सर्दी का समय था। एक दिन प्रातःकाल आचार्यश्री के पास कुछ महाराज लोग बैठे हुए थे। ठण्डी हवा चल रही थी, ठण्ड लग रही थी, शरीर में कंपकंपी उठ रही थी। आचार्यश्री से कहा-देखिए आचार्यश्री जी के शरीर से कांटे उठ रहे हैं। आचार्य श्री ने कहा- हाँ शरीर से कांटे ही उठते हैं फूल नहीं। शरीर दुख का घर है। इसके स्वभाव को जानो और वैराग्य भाव जाग्रत करो। शरीर को नहीं, बल्कि शरीर के स्वभाव को जानने से वैराग्य भाव उत्पन्न होता है।

मुनिश्री कुंथुसागर-संकलित ‘संस्मरण’ से साभार

आदर्श श्रावक

प्राचार्य श्री नरेन्द्रप्रकाश जैन

आज से कोई एक सदी पहले तक उत्तर भारत में किसी निर्ग्रन्थ संत के दर्शन दुर्लभ थे। 1 जुलाई 1907 के 'जैन गजट' अंक 24 में उसके तत्कालीन सुयोग्य सम्पादक स्व. श्री जुगलकिशोर जी मुख्खार ने अपनी वेदना एक कविता में व्यक्त की थी, जिसकी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं -

साधु का दर्शन कहीं पता नहीं,
दिल दुःखी है दुःख सहा जाता नहीं।
धर्म की चर्चा थी उनसे जा-ब-जा,
धर्म अब ढूँढ़े नजर आता नहीं॥
कौम की किश्ती भाँवर में जा फँसी,
साधु तारक बिन तरा जाता नहीं।
जी में आता है कि मैं साधु बनूँ,
साधु बिन साधु बना जाता नहीं॥

यह हमारा सौभाग्य है कि वीतरागता के प्रतीक अनेक संतों के दर्शन आज हमें सुलभ हैं। उनके निमित्त से हम चाहें तो अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। समाज में जो थोड़ा-बहुत संयम का प्रवाह आज जारी है, उसका सम्पूर्ण श्रेय हमारी जीवन्त साधु-संस्था को ही है।

इधर के कुछ वर्षों में साधुओं की संख्या तो बढ़ी है, किन्तु आदर्श श्रावकों का टोटा पड़ने लगा है। गलियों और सड़कों पर जो सैकड़ों की संख्या में चलते-फिरते हुए मानवाकार जीव दिखाई देते हैं, वे सब तो श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। पण्डित-प्रवर आशाधरजी ने लिखा है - श्रृणोति गुर्वादिष्यो धर्ममिति श्रावकः अर्थात् जो श्रद्धापूर्वक गुरु आदि से धर्म-श्रवण करता है, उसको श्रावक कहते हैं। यहाँ विचारणीय यह है कि क्या मात्र श्रवण करनेवाला ही 'श्रावक' कहलाने का पात्र है? नहीं! गुरुमुख से उपदेश सुनकर जो विचारपूर्वक आचरण करता है, वास्तव में वह है श्रावक! एक आदर्श श्रावक में श्रद्धा, विवेक और आचरण का संगम दृष्टिगत होना चाहिए। 'योगशास्त्र' का कथन है -

अन्तरंगारिषद्वर्गं परिहारपरायणः,
वशीकृतेन्द्रियग्रामो गृहिधर्मार्थं कल्पते।

अर्थात् अन्तरंग शत्रुरूप षड्वर्ग (काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष) का परित्याग करनेवाला तथा इन्द्रियों को वश में करनेवाला मनुष्य गृहस्थ धर्म का धारक होता है।

लोकभाषा में गृहस्थ या श्रावक समानार्थक शब्द हैं। तत्त्ववेत्ताओं ने भी सदगृहस्थ को ही श्रावक कहा है। एक

सदगृहस्थ वह है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। कर्तव्यपालन ही धर्म है। अपने धर्म का पालन करनेवाले गृहस्थ की आचार्य पद्मनन्दि ने 'पूज्यं तद् गार्हस्थ्यं' तथा 'तेषां सदगृहमेधिनां गुणवतां धर्मो न कस्य प्रियः' कहकर प्रशंसा की है। वे कहते हैं कि धन्य है वह गृहस्थधर्म, जिसमें जिनेन्द्र और जिनवाणी की पूजा, मुनियों की विनय, धर्मात्माओं की सेवा एवं व्रतों का पालन किया जाता है। ऐसे पवित्र गृहस्थधर्म का सम्यक् निर्वाह करते हुए हम अपनी श्रावक संज्ञा को सार्थक करें, इसी में हमारे जीवन की सफलता है।

हमारे पूज्य सन्तों की प्रेरणा से सन् 1985-86 की समयावधि को 'श्रावकाचार वर्ष' के रूप में मनाया गया था। उसमें यह कोशिश की गई कि गृहस्थ की एक निर्मल-निष्कलुष छवि लोगों के सामने प्रस्तुत हो। इस दरम्यान पत्र-पत्रिकाओं में श्रावकाचार के सम्बन्ध में अनेक लेख लिखे गए और कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। विद्वद्गोष्ठियों एवं संचार-माध्यमों से प्रचार-प्रसार भी खूब हुआ, किन्तु मनुष्य के ढंग-ढर्तों में कुछ भी विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। आदर्श श्रावक बनने का संकल्प यदि इस अवधि में पूरा हो सका होता, तो यह गत शताब्दी की एक बड़ी सफलता मानी जाती। एक आदर्श श्रावक ही एक आदर्श नागरिक हो सकता है और आदर्श नागरिक ही किसी उन्नत राष्ट्र की पूँजी होते हैं।

मानवजीवन पाकर सच्चा श्रावक बनने में ही इस पर्याय की सार्थकता है। स्व. महात्मा भगवानदीन ने आदर्श श्रावक बनने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश इस प्रकार दिये हैं -

1. सच्चा श्रावक बनना है तो निर्भीक बनो।
2. निर्भीक बनना है तो किसी की नौकरी मत करो, अपना कोई रोजगार करो।
3. रोजगार करते हुए संयम का पालन करो।
4. संयम का पालन करना है, तो कुछ नीति-नियमों से बँधो। लाभ के लिए लोभ की सीमा निर्धारित करो। सीमा से अधिक मुनाफा मत कमाओ।
5. नीति-नियमों के सूत्र से तभी बँधे रह सकते हो, जब किसी कर्तव्य से बँधोगे।
6. कर्तव्य को ही अधिकार मानो।
7. अधिकारी बनो, अधिकार के लिए मत रोओ।

‘सागररथमामृत’ में भी कहा गया है कि न्यायपूर्वक धन कमानेवाला, गुणानुरागी, हितमितप्रियभाषी, विवेकी, संत्संगति-अनुरागी और जितेन्द्रिय ही श्रावक कहलाने का पात्र है। आचार्य कुन्दकुन्द ने दान और पूजा को श्रावक का मुख्य कर्तव्य बताया है। पण्डित टोडरमलजी ने अपने श्रावकाचार में लिखा है – “गृहस्थ के घर की शोभा धन से और धन की शोभा दान से है। ---- कोई भी श्रावक किसी मजदूर से कसकर काम न ले, उसकी पूरी मजदूरी दे और कृपणता त्याग कर दुःखी-भूखों को सदा दान दे।” उन्होंने जैन गृहस्थ के तीन चिह्न बताए हैं – (1) जिन-प्रतिमा के दर्शन किए बिना भोजन न करे, (2) रात्रि में न खाए और (3) अनछना पानी न पिये। आवश्यक है कि श्रावक का लक्ष्य तो ऊँचा हो ही, उसके लिए उपाय भी अच्छे अपनाये जायें। जैनदर्शन साध्य-साधन दोनों की पवित्रता पर समान रूप से जोर देता है।

श्रावक या गृहस्थजन यदि उपरिलिखित आचार का पालन करने लगें, तो इससे उनका आत्मविकास तो होगा

ही, देश की भी इज्जत बढ़ेगी। भारत एक धर्मप्राण देश है। धर्म वही है, जो धारण किया जाता है। ‘चारित्तं खलु धम्मो’ के सूत्र में यही ध्वनि निहित है। नैतिक जागरण के लिए पुनः एक सुनियोजित अधियान चलाया जाना चाहिए। शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग, घूत-क्रीड़ा, जीवहत्या, शिकार, मिलावट, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से अपने देश को एक आदर्श श्रावक बनकर ही बचाया जा सकता है।

साधु-संगति से ही सज्जन और सदाचारी नागरिक बनने का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। एक अच्छा गृहस्थ या आदर्श श्रावक एक दुलमुल साधु से लाख दर्जे बेहतर है, कुरल काव्य के इस कथन से भी हम पूरी तरह सहमत हैं –

यो गृही नित्यमुद्युक्तः परेषां कार्यसाधने ।

स्वयं चाचारसम्पन्नः पूतात्मा सा ऋषेरपि ॥

आइए, हम पहल स्वयं अपने से शुरू करें। स्वयं एक आदर्श श्रावक बनें।

‘चिन्तनप्रवाह’ से साभार

शास्त्र बने शास्त्र

धर्मचन्द्र वाङ्मल्य

खूँटे से बँधे हुए पशु की भाँति
इस संसार असार में,
निस्सार जीवन जीते रहे हम।
न जाने कितने युग परिवर्तन देखे,
किन्तु निस्सारता का बोध
कहीं गहरे पैठ नहीं पाया अब तक।
तोते की तरह समयसार आता है

समयसार शास्त्रों में खोजते-खोजते
शास्त्रों को शास्त्र बना डाला है,
किंतु एक निर्गन्ध ने
भीतर ही रमण कर
प्राप्त कर लिया है इसे
और हम देखते रहे बस !
मोहवश निस्सार कर दिए जन्म सब।

ए-92, शाहपुरा, भोपाल

छोटे बाबा का बड़ा काज

डॉ. सुधा मलैया

लेखिका उच्चशिक्षित व सक्रिय सामाजिक नेत्री हैं, आप छात्र जीवन से ही राजनीति, संस्कृति, पत्रकारिता व ऐतिहासिक शोधों से जुड़ी रही हैं, आप राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या रही हैं तथा वर्तमान में 'ओजस्विनी' पत्रिका की संपादिका भी हैं। आपने कई किताबों का प्रकाशन भी किया है। कुंडलपुर पर आपका शोध महत्वपूर्ण है।

सम्पादक

बड़े बाबा की पुनःप्रतिष्ठा

छोटे बाबा, आचार्य श्री विद्यासागर जी के नेत्रों से अविरल भक्तिधारा बह रही थी, विचित्र और आश्चर्यजनक था यह दृश्य, नयनाभिराम भी। किसी ने राग-द्वेष से ऊपर वीतरागी साधुओं के नेत्रों में पानी कब देखा ? पर ये 17 जनवरी 2006 को हुआ, क्योंकि एक बड़ा काज सम्पन्न हुआ, क्योंकि पूरी हुई उस दिन वर्षों की साध बड़े बाबा को उनकी गरिमा के अनुरूप, विशाल व भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित करने की। और विराजमान हो गये बड़े बाबा 2.36 मिनट पर, अपनी गरिमा और भव्यता के अनुरूप, नवनिर्माणाधीन मंदिर की भव्य विशाल वेदी पर, अक्षत, बिना किसी क्षति के, बड़े बाबा अर्थात् जटाधारी प्रथम तीर्थकर आदिनाथ, अंतिम श्रीधर स्वामी की निर्वाण स्थली, कुण्डगिरि, पटेरा तहसील, जिला दमोह, मध्यप्रदेश, की पहाड़ी पर स्थित मुख्य मंदिर के मूल नायक, जन-जन के हृदय में बड़े बाबा के रूप में प्रतिष्ठित.

जब हजारों हजार लोगों ने उस विशाल प्रतिमा को सोलह साल के सरदार बालक के द्वारा कुशलता से संचालित पुष्टक विमान-सी सजी क्रेन के द्वारा हौले से ऊपर ही ऊपर लहराते हुए विशाल वेदी पर सरलता से प्रतिष्ठित होते देखा, तो भक्तों को यह घटना निश्चित ही किसी चमत्कार या अतिशय से कम नहीं लगी, और उनके लिए यह बड़े बाबा का फूल के माफिक हल्के होकर आकाश मार्ग से उड़ना लगा। भावविभोर श्रद्धालु और भक्तजनों के जयकारे से आकाश गूँज उठा। अतिशय हुआ या चमत्कार, निर्णय कौन करे ? भक्तिभाव से सराबोर भक्तों ने गढ़ी नई उपमाएँ और उपमान, आस्था की प्रतिष्ठा हुई और धर्म प्रभावना पुष्ट।

किन्तु भारतीय पुरातत्त्व विभाग के लिए यह बड़ी दुर्घटना थी। प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 का खुला उल्लंघन था। उनके अनुसार जैन समाज ने गैर कानूनी काम किया था, जिसका

उदाहरण देश के अन्य संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। यक्ष प्रश्न है कि कानून का उल्लंघन किसके द्वारा हुआ ? मर्यादाएँ कब और किसने तोड़ीं ? कर्तव्यों का किसने और कितना पालन किया ? जिम्मेदारियों का निर्वहन किसने किया ? यह जानने के लिए जरूरी है नये मन्दिर के निर्माण और बड़े बाबा की मूर्ति को स्थानांतरित करने की आवश्यकता को सम्यक् परिप्रेक्ष्य में जानना, कानूनी भू-स्वामित्व, सामाजिक, पुरातत्त्व विभाग व शासन, प्रशासन की भूमिका आदि सभी दृष्टि से।

कुण्डलपुर क्षेत्र एवं मंदिरों/मूर्तियों की प्राचीनता

15 फुट ऊँची, 12 फीट चौड़ी, एक पत्थर में तराशी गई पद्मासन मुद्रा में आदिनाथ भगवान की यह मनोहारी प्रतिमा प्राचीनतम एवं विशालतम है। शैली के आधार पर लगभग 5 वीं - 6 वीं शती के आस-पास की इस मूर्ति के बारे में प्रमाणिक रूप से कहना कठिन है कि यह कब बनी, किसने तराशी, किसने प्रतिष्ठित करवायी और किस पुण्यात्मा राजा, महाराजा ने उस भव्य विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। न कोई अभिलेख उपलब्ध है और न ही आज दिनांक तक कोई प्राचीन उल्लेख, जिससे पुष्टि की जा सके। उस समय बुंदेलखण्ड में गुप्तों के मांडलिक कौन थे, यह स्पष्ट नहीं है।

अंतिम केवली श्रीधर स्वामी की निर्वाणभूमि होने के कारण यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से पवित्र रहा होगा और इसी कारण संभवतः यहाँ भगवान आदिनाथ व अन्य तीर्थकरों के मंदिरों का निर्माण हुआ। अन्य 63 मंदिरों में प्राप्त जिन-मूर्तियाँ लगभग 5 वीं शती से लेकर 16 वीं शती की हैं।

वर्तमान मंदिर, कोई भी 300 वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। छःघरिया वंदना मार्ग से पहाड़ पर वंदना को जाते समय दायें हाथ पर सपाट छतवाला मंदिर है, जो अम्बिकापठ के नाम से जाना जाता है, वह पूर्वगुप्तकालीन है। मंदिर

निर्माण परम्परा में नागर-शैली के शिखरमंदिरों के विकास से पूर्व सर्वप्रथम सपाट छतवाले मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। पूरे भारतवर्ष में इनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। साँची स्तूप के पास स्थित मंदिर, इस श्रेणी की प्रथम उदाहरण माना जाता है, और इस प्रकार के सभी मंदिर सम्पूर्ण भारतवर्ष में संरक्षित स्मारक हैं।

मूल प्राचीन मंदिर कब नष्ट हुआ कह नहीं सकते। प्राप्त मूर्तियों तथा भग्नावशेषों से स्पष्ट होता है कि ये सुनोयोजित मुस्लिम आक्रमणों के तहत नष्ट किये गये मंदिर समूह नहीं थे। ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण, उल्लेख, अभी तक अप्राप्त है। भूकंप के प्रभाव व क्षेत्र में आनेवाले कुण्डलपुर ग्राम में मंदिर निश्चित रूप से भूकंप से ध्वस्त हुए। अन्यथा मूर्तियों के मुख व अंग-भंग होते, जो मुस्लिम आक्रमणकारियों का हिन्दू बुतों को नष्ट करने का तरीका था। टीले के रूप में यह मंदिर न जाने कितनी शताब्दियों तक पहाड़ी के जंगलों के बीच ध्वस्त पड़ा रहा। इसीलिए यह कुण्डलपुर ग्राम अनेक वर्षों तक मंदिरटीला ग्राम से जाना जाता रहा। इसके भाग खुले जब 1700 ई. में आचार्य सुरेन्द्रकीर्ति के शिष्य ब्रह्मचारी ने मिसागर ने जैन समाज के श्रावकों के दान व बुंदेलखण्ड के सरी महाराजा छत्रसाल 'शिवा को सराहो सराहो छत्रसाल को' के सहयोग से यहाँ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, और बड़े बाबा की वर्षों बाद प्राणप्रतिष्ठा हुई। तीन सौ वर्षों में यहाँ अनेक मन्दिर बने, जिनमें वर्हीं प्राप्त प्राचीन मूर्तियों सहित 200-100 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ भी प्रतिष्ठित हुईं और मन्दिरों की संख्या 1 से 64 तक जा पहुँची। क्षेत्र का भी विकास हुआ और कुण्डलपुर क्षेत्र मध्यप्रदेश के 'तीर्थराज' के रूप में जाना जाने लगा।

जीणोद्धार की आवश्यकता

1700 ई. में बड़ेबाबा-मंदिर के निर्माण के पश्चात् काल के प्रवाह में बड़ेबाबा-मंदिर की भित्तियाँ जीर्णशीर्ण हुईं, महामण्डप में लगे स्तम्भ टूटने लगे। छत के गिरने का खतरा बढ़ा तथा पलस्तर उधड़ने लगे। समय-समय पर उसमें आवश्यकतानुसार मरम्मत की जाती रही।

आचार्य श्री विद्यासागर जी 1976 में जब कुण्डलपुर आए तब उनका ध्यान इस ओर गया। उनकी प्रेरणा से साहू श्रेयांसप्रसाद जैन द्वारा बड़े बाबा मंदिर के जीर्णशीर्ण शिखर का जीणोद्धार कांक्रीट-सीमेंट का शिखर बनाकर कराया गया। 1980 और 82 में भी तत्कालीन क्षेत्र प्रबंध समिति के द्वारा बड़े बाबा के बंदना मार्ग के द्वारों तथा अनेक मंदिरों के

शिखरों को मजबूत करने की दृष्टि से कार्य किए गए। किन्तु इस बीच बड़े मंदिर के परकोटे की जीर्णशीर्ण दीवारों, मंदिर के गर्भगृह तथा महामण्डप की दीवारों के उधड़े पलस्तर, टूटे स्तंभ, गिरती हुई छत की ओर ध्यान देना आवश्यक हो गया। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने क्षेत्र की प्रबंध समिति को विशेषज्ञों से सलाह लेकर बड़े बाबा मंदिर के जीर्णोद्धार की योजना बनाने की प्रेरणा दी।

1995 में देश के कई ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ, शिल्पकार, भूगर्भशास्त्री, वास्तुविशेषज्ञ आचार्य श्री के निमंत्रण पर कुण्डलपुर पधारे। केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग के श्री ए. के. सिन्हा भी, आचार्य श्री विद्यासागर जी से इस विषय में मेरे साथ मिलने गए थे। आचार्य श्री ने पुरातत्त्व विभाग को उचित सुझाव देने को कहा था और जैन समाज की मंदिर के जीर्णोद्धार करने की भावना से अवगत कराया था। श्री नीरज जैन, सतना भी उस चर्चा के समय वहाँ उपस्थित थे।

विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप तथा प्रख्यात वास्तुविद् आर. पच्चीकर के निर्देशन में बड़ेबाबा मंदिर को उसी स्थान पर मण्डप, महामण्डप एवं सिंहद्वारायुक्त भव्य मंदिर में परिवर्तित करने की योजना पर विचारा हुआ, और इस पर क्रियान्वयन प्रारम्भ हुआ। 31 मई 95 को सिंहद्वार हेतु शिलान्यास किया गया।

इसी योजना में गर्भगृह का विस्तारीकरण भी सम्मिलित था। इस योजना को कार्यरूप देने के लिए तथा विशाल सिंहद्वार निर्माण के लिए, पर्वत के निरंतर क्षरण के चलते आवश्यक था कि नींव मजबूत की जाये, अतः पत्थरों की बहुत ही मजबूत नींव बनाई गयी जो सुंदर भी थी। इससे अनेक लोगों को यह भ्रम हुआ कि यही सिंहद्वार है। वास्तविकता यह थी कि वह नींव की दीवार है जो केवल पत्थरों की सपाट दीवार न होकर एक मेहराबदार आकर्षक आकार है। इसके मेहराबों के बीच के स्थानों का उपयोग, छोटे-छोटे कमरों के रूप में साधना हेतु किया जा रहा है।

नवमंदिरनिर्माण की आवश्यकता व प्रस्ताव

इस समय तक कभी भी बड़े बाबा के स्थानांतरण अथवा नवमंदिरनिर्माण की बात नहीं उठी थी। किन्तु इस बीच 1997 में जबलपुर-दमोह में आये भूकंप के झटकों से बड़ेबाबा मंदिर की दीवारों में आयी दरारों ने जैन समाज को चिंतित किया। क्षतिग्रस्त मंदिर से बड़े बाबा की मूर्ति को भी क्षति पहुँच सकती है। नींव के निर्माण में आयी अनेक तकनीकी परेशानियों के कारण भी पूरी योजना पर पुनर्विचार

किया गया। विशेषज्ञों के दल ने 1998 में कुण्डलपुर आकर पुनः बड़े बाबा मंदिर का पूर्ण अवलोकन किया। भूकम्प पश्चात् पुरातत्त्व विभाग द्वारा किये गये एक सर्वे में भी 80 प्रतिशत मन्दिर के जर्जर होने तथा मंदिर के 70 स्तम्भों में से 19 के अपना स्थान छोड़ने की बात आई। इसलिए वास्तुविद् सी. बी. सोमपुरा, अहमदाबाद तथा विशेषज्ञों की सलाह पर आवश्यक समझा गया कि वर्तमान में वायव्यमुखी प्रतिमा को पूर्व या उत्तरमुखी करके वास्तुगत दोष को दूर करते हुए मूर्ति वहाँ से हटाकर प्राचीन भारतीय पंचायतन शैली के नये मंदिर में, जो रिक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को सह सके, स्थापित किया जाये।

पाषाण निर्मित बिना सीमेंट और लोहे के उपयोग के बननेवाले इस नये भव्य मंदिर निर्माण का प्रस्ताव आचार्य श्री विद्यासागर तथा समाज के गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष 14 फरवरी 99 को, विद्याभवन, कुण्डलपुर में पारित किया गया। देश के मान्य प्रतिष्ठाचार्य पंडित नाथूलाल शास्त्री, इंदौर, से भी विधि-विधान तथा शास्त्रसम्मत परामर्श करके 3 मार्च 99 को नवमंदिर का शिलान्यास हुआ। बड़े बाबा मंदिर के जीर्णोद्धार का सीधा संबंध अब इस नव निर्माण से हो गया था अर्थात् जो नवीन मंदिर अब बनेगा उसी में बड़े बाबा अब विराजेंगे।

नव मंदिर निर्माण की नींव

1999 से 2001 तक निर्माणसमिति ने पुराने मंदिर के पास की पहाड़ी काटकर 1,05,000 वर्गफुट जगह समतल की। रेतीली पहाड़ी पर भूकंप का असर न हो और नया मंदिर 1000-2000 वर्ष सुरक्षित रहे, इसलिए 387 गहरे गड्ढे खोदकर उनमें हजारों बोरी सीमेंट डालकर ग्राउंटिंग की गयी। वास्तुविद् सी. बी. सोमपुरा को मंदिर वास्तुशिल्प का कार्यभार सौंपा गया। 2000 तक मंदिर की नींव पड़ गई।

प्रथम महामस्तकाभिषेक तथा नवमंदिरनिर्माण की अनुमोदना

सकल जैन समाज, शासन-प्रशासन के समक्ष नव मन्दिर निर्माण की समस्त योजना की प्रस्तावना रखने एवं अनुमोदन लेने के लिए 2001 में बड़े बाबा का प्रथम महामस्तकाभिषेक आयोजित किया गया। 21 फरवरी से 27 फरवरी तक चले आस्था के इस महाकुंभ में 51 दिगम्बर साधु, 114 आर्यिका माताजी, 4 ऐलक महाराज, 8 छुल्लक महाराज तथा 1 छुल्लिका माताजी सहित 179 सदस्यों के

मुनिसंघ की उपस्थिति रही। 7 दिन में दमोह से, आस-पास के क्षेत्रों से, देश के कोने-कोने से, विदेशों से पधारे 10 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इनमें जैन-अजैन, बाल-अबाल, स्त्री-पुरुष सभी थे। राजनैतिक दलों के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों ने शिरकत की ओर राज्य के राज्यपाल भाई महावीर, केन्द्रीय मंत्री धनंजय कुमार तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. दिग्विजय सिंह ने अपने मंत्रियों के दल सहित इस नवनिर्माण का अनुमोदन करते हुए भरसक सहयोग का आश्वासन दिया।

इस अद्भुत व अभूतपूर्व समारोह के अंतिम दिन विशाल आयोजन स्थल और भगवान की वेदी प्रतिष्ठा के चारों ओर बने परिक्रमामार्ग पर पाँच लाख व्यक्तियों के सम्मुख तीन विशाल, दो-दो हाथी वाले गजरथों के साथ सात फेरी लगायी आचार्यश्री सहित 189 मुनियों के सम्पूर्ण संघ, 700 इंद्र-इंद्राणियों व गणमान्य नागरिकों ने। बड़े बाबा जितने ही बड़े निराले कुण्डलपुर के इस महामस्तकाभिषेक महोत्सव में, जिसके प्रबंधन में गायत्रीपरिवार से लेकर सभी धर्मानुयायियों ने सहयोग दिया। न केवल दमोह जिला भारतवर्ष के नक्शे पर आया, अपितु जैनधर्म की प्रभावना में अत्यधिक विस्तार हुआ और कुण्डलपुर बन गया जैन-अजैन संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति का अनूठा व अनुपम केन्द्र। महोत्सव की सफलता ने 10-12 करोड़ के प्रारंभिक बजट को 50 करोड़ तक पहुँचा दिया।

नव निर्माण कार्य जनवरी 2001-2006

फरवरी 2001 से प्रारंभ नव निर्माण कार्य निर्विघ्न चलता रहा, जनवरी 2006 तक। साधुओं ने साधना की, अनेक दाताओं ने मुक्तहस्त से दान दिया, भक्तों ने भावना धारी, स्वयंसेवकों ने सेवा की एवं निर्माण समिति ने निर्माण कार्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। वर्तमान में 35 फुट ऊँचा आधे से अधिक गर्भगृह बन चुका है। मंदिर में दानदाताओं का 9-10 करोड़ रुपया लग चुका है।

शासन प्रशासन व पुरातत्त्व विभाग के साथ संवाद

क्षेत्रसमिति ने गुरुवर के आदेश को शिरोधार्य करते हुए निर्माण को संभव बनाने हेतु शासन-प्रशासन एवं पुरातत्त्व विभाग को विश्वास में लेने के हर संभव प्रयास किये। क्षेत्रसमिति व निर्माणसमिति ने इस दृष्टि से विशेषज्ञों, पुरातत्त्वविदों तथा अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। पुरातत्त्व में जानकारी व सूचि रखने तथा कुण्डलपुर पर आधिकारिक पुस्तक लिखने के कारण एकाध बैठकों में

मुझे भी आमंत्रित किया गया। क्षेत्र समिति का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारियों तथा राज्य शासन से अनेक बार मिला। अंतिम बार 5 जनवरी 2006 को प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को पुनः अपनी व आचार्यश्री की भावना से अवगत कराया।

मा. श्री शिवराजसिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने जिला अधिकारियों व क्षेत्रसमिति, दोनों को कानून का उल्लंघन किये बिना कोई मध्यममार्ग निकालने व केन्द्र सरकार व भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के महानिदेशक से भी चर्चा करने की सलाह दी। तदनुरूप जैन प्रतिनिधि मंडल ने जनवरी के तृतीय सप्ताह में महानिदेशक केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय से मिलने का समय मांगा था और इस आशय की जानकारी श्री के. के. मोहम्मद से मिलकर पत्र द्वारा दी और पुरातत्त्व विभाग के सहयोग की भावना जताई। इससे पूर्व दिसम्बर में केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग के दावे को सही मानते हुए (जो बाद में झूठा ही सिद्ध हुआ), क्षेत्र समिति ने उन मूर्तियों को भी, पुरातत्त्व विभाग को, बावजूद आचार्य श्री की भावना के विरुद्ध इसलिये दिलवाया, क्योंकि जैन समाज पुरातत्त्व विभाग की उपेक्षा नहीं करना चाहता था और न ही छोटे विवादों में उलझकर ऊर्जा व समय नष्ट करना। सामने था बड़ा उद्देश्य - बड़े बाबा की मूर्ति के स्थानांतरण का। किन्तु उसका दिन 16 जनवरी तय नहीं हुआ था। निश्चित रूप से 3 फरवरी से पहले तो नहीं। वह तो कारण व निमित्त ऐसे बन गये कि सब कुछ अप्रत्याशित रूप से हुआ।

बड़े बाबा के स्थानांतरण का निर्णय 15 जनवरी 2006

बड़े बाबा का काज निराले ढंग से होना था। इसलिए होनी को कुछ और ही मंजूर था। अनेक लोगों ने प्रश्न किया है कि जब 4 वर्ष से शांतिपूर्ण निर्माण कार्य चल रहा था, तब क्या जल्दी थी, थोड़ा और रुक जाते। विधिवत् भी यह कार्य किया जा सकता था, इसलिए जरूरी है यह पृष्ठ भूमि जानना कि क्योंकर 15 से 17 तक होने वाले जप अनुष्ठान के स्थान पर 16 जनवरी को अप्रत्याशित रूप से मूर्ति स्थानांतरित करने का निर्णय लेना पड़ा।

मैं उस दिन उज्जैन में थी, रविवार, 15 जनवरी स्वदेशी मेला, उज्जैन के महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अचानक कुण्डलपुर में श्री वीरेश सेठ का फोन आया कि श्री राघवेन्द्र सिंह, जिलाधीश, दमोह दल-बल सहित 10-15 गाड़ियाँ लेकर कुण्डलपुर पहाड़ पर चढ़ आये हैं और तुरंत मंदिर निर्माणकार्य बंद करने अन्यथा कुण्डलपुर को

छावनी बना देने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि इसे अयोध्या नहीं बनने दूँगा। पुलिस चौकी स्थापित करूँगा। कांची के शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो गयी, किसने क्या कर लिया? आदिनाथ भगवान की मूर्ति भी शंकर भगवान की है और विवादास्पद है आदि बातें कर रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित रह गई। एक जिम्मेदार अधिकारी के मुख से, जिसके सर पर जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी थी, के द्वारा वर्तमान में भारत के महानतम तपस्वियों में से एक दिगम्बर जैन साधु श्री आचार्य विद्यासागर जी के सम्मान में ऐसे गैरजिम्मेदार बयान अविवादास्पद विषय को विवाद की ओर ले जाने के थे, तो कितने खतरनाक परिणाम हो सकते थे। यह कल्पना करना कठिन नहीं है।

मैंने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फोन पर ही उन्हें कहा कि आप जैसा जिलाधीश कहते हैं, वैसा करिये, कानून हाथ में न लें, निर्माण कार्य कुछ दिन बन्द करने में कोई हर्जा नहीं है। बन्द कर दें और इस आशय का पत्र लिखकर उन्हें दे दें। निर्माण व क्षेत्र समिति ने ऐसा ही किया, स्थिति सुधर गई थी।

किन्तु एक-दो घंटे के बाद वीरेश सेठ का दुबारा फोन आया कि एक दुर्घटना हो गई है। जिलाधीश के रुख से एवं पुलिस चौकी स्थापित करने की बात को लेकर आक्रोशित जैन युवकों ने जिलाधीश की गाड़ी के नीचे लेटकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधीश से पुलिस बल हटाने के लिए कहा, जिससे धार्मिक कार्य व जप में विघ्न न हो।

इस बीच दल के साथ गये पत्रकार का कैमरा उत्तेजित जैन युवकों ने छीन लिया था। शायद इसके साथ छीन-झपटी भी हुई। इन युवकों को वीरेश सेठ ने जोर से फटकार कर किसी तरह स्थिति सँभाल कर, जिलाधीश से माफी माँगते हुए उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रबन्ध किये। जिलाधीश अत्यन्त आक्रोश में दमोह लौट गये। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने उन्हें उत्तेजित कर दिया था। पत्रकार व प्रशासन के साथ यह घटना निश्चित रूप से निन्दनीय व गैरजरूरी थी। उसकी जितनी निन्दा की जाये कम है। किन्तु जिलाधीश जैसे जिम्मेदार व्यक्ति की भड़काऊ बयानबाजी किसी शांतिप्रिय व्यक्ति को भी विचलित व अस्थिर कर सकती थी, फिर यह तो धार्मिक भावनाओं में बह रहे युवकों का समूह था।

जिलाधीश के इस कदम ने भय की भावना जैनसमुदाय के मन में भर दी और ऐसा लगा कि वे वहाँ पुलिस चौकी

बिठा कर छावनी बना देंगे और सदा के लिए निर्माण कार्य रूक जायेगा। सब कार्य अधूरे पड़े रहेंगे। जिलाधीश के जाने के दो-एक घंटे बाद वीरेश सेठ ने मुझे फोन किया और कहा कि कलेक्टर के जाने के बाद स्थिति नियंत्रण के बाहर जा रही है और काफी लोग एकत्र हो गए हैं। समाज उत्तेजित हैं, संभालना कठिन है। मैंने बात संभालने की कोशिश की और कहा बिल्कुल भी ऐसा कोई काम न करें जिससे कि उद्देश्य भी पूरा हो और कानून का उल्लंघन हो जाये। मैं रात्रि दस बजे उज्जैन से भोपाल पहुँची और मलैया जी श्री जयंत मलैया मंत्री - स्थानीय विभाग, मध्यप्रदेश शासन ग्वालियर में थे, उन्हें मैंने भी अवगत कराया। उन्होंने जिलाधीश दमोह को एक फेक्स किया तथा मुझे मुख्यमंत्री से मिलने को कहा। मैंने मुख्यमंत्रीजी को संपर्क की तुरंत चेष्टा की। रात्रि 11 बजे उनसे मिल पाई। पूरी स्थिति की गंभीरता बताकर त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता जताई। उन्होंने तुरंत अपने कार्यालय से फेक्स जिलाधीश के पास भिजवाया कि वे कुंडलपुर जाकर आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करें कि ऐसा कोई भी कार्य न किया जावे, जिससे कानून का उल्लंघन हो, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के साथ बातचीत करके इस समस्या का समाधान तलाशने में जैन समाज का सहयोगी करेगी, आवश्यकता होगी तो मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली जायेंगे। जिलाधीश को यह फैक्स रात में ही मिल गया।

मैं निश्चित हो गयी थी कि अचानक 12 बजे मुझे मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि आप वहाँ जाएँ और समाज को समझाने की कोशिश करें, मैंने मुख्यमंत्री को निवेदन किया कि मेरा वहाँ जाना शायद उचित न होगा, किन्तु संवेदनशील मुख्यमंत्री ने आग्रहपूर्वक कहा, 'मैं आपको कह रहा हूँ, आप वहाँ जाएँ, कोई एक समझदार व्यक्ति तो वहाँ हो जिससे हम बात कर सकें और स्थितियाँ संतुलन में रहें, कोई भी अप्रिय स्थिति को आप टाल सकेंगी। हमारी मंशा साफ है कि हम जैन समाज की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कानून की सीमाओं में।' मैं समझ गई कि यह प्रेरणा श्री हृदय मोहन जैन, विदिशा द्वारा मुख्यमंत्रीजी को दी गई है। वे रात्रि में ही कुण्डलपुर जा रहे थे और मुझसे चलने की कह रहे थे। मैंने मना कर दिया था। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया।

बड़े बाबा का काज 16-17 जनवरी 2006

मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं रात दो बजे कामायनी

एक्सप्रेस से चलकर सुबह 8 बजे 16 तारीख को दमोह आ गई। आते ही मैंने वीरेश से बात की। उन्होंने मुझे बताया गुरुओं के निर्देश से बड़े बाबा की मूर्ति हटाने का कार्य जिसे 'आपेशन मोक्ष' का नाम दिया गया। शुरू कर दिया गया है। इसे रोकना संभव नहीं रहा था। जिलाधीश कल यहाँ पुलिस फोर्स ले आयेंगे। अब कोई और चारा नहीं था। मैंने उन्हं केवल इतना ही कहा कि कृपया सभी कुछ शांतिपूर्ण व अहिंसात्मक ढंग से करें। जैन समाज का कोई भी व्यक्ति प्रशासन से न टकराये, न संघर्ष करे। पुलिस यदि बलप्रयोग करती भी है और संघर्षपूर्ण स्थिति बनती भी है, तो जैन समाज को यह अवसर है कि यह सिद्ध करे कि वह अहिंसक है। गोलियाँ भी खानी पड़ें तो वह खाये। चर्चानुसार जैन साधु व साध्वी, बच्चे, औरतें आगे आकर क्षेत्र के मुख्य दरवाजे के बाहर आकर सड़क पर बैठ गये थे। मूर्ति स्थानांतरण हेतु तथा जर्जित मंदिर की दीवारें व शिखर तोड़ने के लिए निर्माणकार्य में लगी क्रेनें वहाँ पहले से ही मौजूद थीं। जैन युवकों को किसी भी अप्रिय स्थिति से शांतिपूर्ण ढंग से निपटने के लिए सतर्क कर दिया गया था।

मैंने निश्चय किया कि मैं दमोह तो आ गई हूँ, लेकिन कुंडलपुर नहीं जाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि दमोह में रहकर ही यथासंभव शासन और समाज के बीच में टकराव की स्थिति को रोकूँ, जैसा कि मुख्यमंत्रीजी का निर्देश था।

प्रशासन के सम्मुख कुंडलपुर के मंदिरों व मूर्ति के बारे में भ्रमपूर्ण स्थिति थी। कुंडलपुर क्षेत्रसमिति कहती रही थी कि 300 वर्षों से कुंडलपुर के मंदिर जैन समाज के आधिपत्य में हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित प्राचीन स्मारक नहीं है, केवल अम्बिका मठ संरक्षित है और उधर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहता रहा कि वह संरक्षित स्मारक है और वहाँ से मूर्ति हटाकर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। स्थिति नाजुक थी। प्रशासन को कानून बाध्यता थी कि वह इसे रोकने का अपना कार्य करे और रोक पाने की स्थितियें वह था नहीं।

मैंने जिलाधीश से सम्पर्क किया, वह उपलब्ध नहीं हुए तो मैंने मुख्यमंत्री जी से सम्पर्क करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री भाग्यवशात् 16 जनवरी को मुख्य सचिव के

साथ जबलपुर दौरे में थे और कार्यक्रम में थे। मलैया जी के निर्देशों के कारण मैं कुँण्डलपुर नहीं जा सकती थी। पर मैं सतत सम्पर्क में थी, क्योंकि मुझे पल-पल की जानकारी देने के निर्देश थे। मुझे जानकारी मिली कि कलेक्टर ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से बात करके सागर से एस. ए. एफ. बटालियन बुलवायी है, बल-प्रयोग से मूर्ति का स्थानांतरण रोकने के लिए, मेरी नजरों के सामने निहत्थे साधु-साधिव्यों पर अश्रुगैस, लाठीचार्ज और गोलीचालन का दृश्य घूम गया। क्यों? मेरी आँखों से बेबसी, आक्रोश, पीड़ा के आँसू बहने लगे। हमें अपने ही देश में इतनी बेवकूफियों से क्यों गुजरना पड़ता है। मेरे स्वतंत्र देश में ये कैसे कानून हैं? 30 अक्टूबर 1990 को निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चली थीं, क्या यहाँ पर निहत्थे जैन तपस्वियों पर चलेंगी? न यहाँ दो सम्प्रदाय के बीच का झगड़ा है, न भू-स्वामित्व का। वास्तव में कोई झगड़ा तो था ही नहीं, मैं काँप गई। एसएएफ आने की बात से दमोह में आतंक और भय का माहौल व्याप्त हो गया। मुझे दोनों की चिंता थी, सरकार को कोई आँच न आये, बड़े बाबा को कोई छू न पावे, साधुसंतों की अवमानना न हो पाये, जैन समाज का व प्रशासन का संघर्ष न हो। ऐसा हुआ तो बहुत खतरनाक होगा, दोनों ओर मरण होता।

मैंने मलैया जी को संपर्क करके कहा, जिलाधीश गोली चलाकर भी इस कार्य को रोकने के पक्ष में है, उसने एस.ए.एफ. सागर से बुलाई है, उसे रोकें, वरना अनर्थ हो जाएगा। यहाँ कुछ हुआ, तो आगे देश भर में फैलेगी। जयंत मलैया जी ने तुरंत मुख्यमंत्री जी व उनके साथ में उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री मा. अजय विश्नोई जी से बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को स्थिति की गंभीरता समझाकर जिलाधीश के हाथ से नियंत्रण लेने की बात की। विवेकशील मुख्यमंत्री जी समझ गये। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री से कार्य रोकने के लिए बलप्रयोग की आज्ञा माँगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने पूछा इस कानून के उल्लंघन की सजा क्या है? बताया गया रूपये 3000/- तथा तीन महीने की सजा। अब उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया, यदि मेरी कुर्सी जाती है, तो जाए लेकिन गोली चलाने का आदेश निर्देशों और साधुओं पर नहीं दूँगा। बलप्रयोग नहीं होगा। न अश्रु गोले चलेंगे, न लाठी चार्ज होगा। उनको समझाने की कोशिश करें, मलैया जी वहाँ जाकर उन्हें समझायेंगे, वे मेरा संदेश उनके पास लेकर जा रहे हैं।

सागर से आई. जी. व कमिशनर को दमोह पहुँचकर

स्थिति नियंत्रण में करने का आदेश दे दिया गया था। पूरे कार्यक्रम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय यही था। संदेश मुझे मिल गया। दोनों दो-ढाई बजे के करीब दमोह सर्किट हाउस में पहुँचे। शासन के निर्देश पर मैं उनसे मिलने वहाँ पहुँची। पूर्ण स्थिति से अवगत कराया। परिस्थितियों को देखते हुए और मुख्यमंत्री से हुई बातचीत के आधार पर मलैया जी मुझे आई. जी. और कमिशनर के साथ कुँडलपुर जाने को कहा, जिससे जैन समाज व प्रशासन के बीच किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को टाला जा सके और प्रशासन को कोई अप्रिय निर्णय न लेना पड़े। आई.जी., कमिशनर के साथ में साढ़े तीन-चार बजे के करीब कुँडलपुर पहुँची। 1000 से अधिक पुलिस फोर्स वहाँ खड़ी थी। क्षेत्र के मुख्य द्वार के बाहर ही सड़क पर, जैन मुनियों और जैन साधिव्यों का दल समाज के एक हजार से अधिक लोगों के साथ बैठा था, शांतिपूर्वक, बड़े बाबा का मंत्र जाप करते हुए। अद्भुत नाकेबंदी थी वहाँ। जो जैन साधु व साध्वी किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी भाग नहीं लेते, वे आज इस प्रकार बीच सड़क पर धरने पर बैठे थे, छोटे बाबा की आज्ञा से बड़े बाबा के काज के लिए। आई. जी. और कमिशनर ने निर्णय किया कि इन हालातों में कुछ नहीं किया जा सकता।

लेकिन तनातनी बढ़ रही थी। सड़कमार्ग अवरुद्ध था और वे भोले-भाले ग्रामीण, जो बड़े बाबा को उतना ही अपना आराध्य मानते थे, जितना कोई भी जैन, वहाँ देर से रुके हुए उत्तेजित हो रहे थे। उनको लग रहा था कैसे गाँव पहुँचे। एस.पी. ने स्थिति को भाँपा और ग्रामीणों की परेशानी समझ मुझसे निवेदन किया “मैडम, कृपया आप मुनियों से निवेदन करें कि वे ग्रामीणों के जाने के लिए रास्ता छोड़ दें।” मैंने मुनि महाराज से निवेदन किया कि रास्ता बना दें और केवल इनके ट्रैक्टर, ट्राली गुजरने दें, गाँव को जाने वाली बसों को जाने दें।

इस बीच में कुछ अराजक तत्त्व सक्रिय हो गये थे और उत्तेजना फैलाने के मूड में थे। किन्तु मैंने केवल जैन युवकों को समझाया, वे प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। जो कार्य प्रारंभ हुआ है उस कार्य को शांति से सम्पन्न हो जाने दें और कोई विरोध बाहर से आवे भी, तो उसे भी सहर्ष स्वीकारें। इस बात का परिचय दें कि आप अहिंसा के प्रतिपादक महावीर के अनुयायी हैं। स्थिति को बिगाड़े नहीं, नियंत्रण में रखें। प्रभाव हुआ, वे स्थिति की गंभीरता को समझे, रास्ता

बनाया और जो भीड़ इतनी देर से एकत्र थी वह छठने लगी।

तभी उनमें कुछ शरारती तत्त्वों ने – जो यह चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार से कोई अप्रिय स्थिति बने – किसी के उकसावे पर ‘बजरंग बली की जय’, ‘महादेव की जय’ करना वहाँ शुरू कर दिया। इस जयकारे ने आज तक कभी जैन और हिन्दुओं में कोई प्रतिक्रिया पैदा नहीं की थी। किंतु आज उसके अर्थ कुछ और थे। थोड़ी देर और यह होता, तो स्थिति बिगड़ सकती थी। पुलिस व जैन युवकों के सहयोग से शीघ्रतापूर्वक ग्रामीणों को वहाँ से निकाला गया।

मैं अभी तक नीचे क्षेत्र के बाहर नाकेबंदी के स्थान पर ही थी, पुलिस व अधिकारियों के साथ। तभी कमिशनर ने निवेदन किया कि आप पहाड़ पर जा सकें, तो आचार्य श्री के चरणों में निवेदन कर हमारी मुलाकात करवा दें। वे एक बार जरूर जाकर शासन की मंशा और मुख्यमंत्री का संदेश उन्हें बताना चाहेंगे। मैंने कहा, ठीक है किंतु मैं ऊपर नहीं जाना चाहती। उन्होंने कहा, ‘आप जाइये और हम अभी इसलिए नहीं चलेंगे, क्योंकि कहीं रास्ते में किसी ने कुछ कर दिया, तो स्थिति नाजुक हो जायेगी। मुझे भी बात समझ में आयी। मैं सायं 5.30 के लगभग पहाड़ पर गई।’ आचार्य श्री ध्यान में थे। ध्यान के पश्चात् मैंने व वीरेश ने उनसे निवेदन किया, उन्होंने कहा ठीक है, ज्ञान साधना केन्द्र में मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, पर जैसे ही मैंने नीचे संदेश भिजवाया, अधिकारियों का मन बदल गया और अगले दिन सुबह जाने को कहा, अभी जाना ठीक नहीं है। उन्होंने पुलिस बल लौटा देने का भी निर्णय लिया, पुलिस बसें लौटने लगीं और पटेरा थाने आकर रुक गईं, कुछ दमोह गईं, आई.जी., कमिशनर, कलेक्टर आदि पटेरा रेस्ट हाउस पहुँच गये, मैं भी सायं 6 बजे भोपाल से हैलीकाप्टर द्वारा दमोह पहुँच गये थे, किन्तु आई.जी. कमिशनर से बातचीत के बाद उन्हें कुण्डलपुर जाने की आवश्यकता नहीं लगी।

17 जनवरी को सुबह मलैया जी वापस भोपाल चले गये। 10 बजे उनका भोपाल से फोन आया, ‘सबसे कहो, पहाड़ खाली कर दें।’ रेपिड एक्शन फोर्स की दो बटालियनें जबलपुर से निकल गई हैं। मैं 11 बजे के लगभग पुनः कुण्डलपुर पहुँची। नीचे सूचना मिली कि बड़े बाबा की मूर्ति निकालने का कार्य चल रहा है। मैं जैसे ही पहुँची, आई. जी. और कमिशनर ने फिर आचार्यश्री से मिलने का आग्रह किया। मैं पुनः पहाड़ पर गई। वहाँ जाकर मैंने आचार्यश्री

से निवेदन किया और पहाड़ खाली करवाने को कहा। उन्होंने कहा जो निर्णय उचित लगे वो करो। वातावरण में बहुत तनाव है। एक्सप्रेस न्यूज के सम्पादक श्री सनत जैन भी भोपाल से पथरे हुए थे। उन्होंने काफी सक्रियतापूर्वक समाज व प्रशासन के बीच संवाद करके संतुलन बनाये रखा। प्रमुख सचिव से बातचीत करवाई। उन्होंने कमिशनर को गिरफ्तारियाँ करने के लिए कहा। कमिशनर का फोन नहीं लग रहा था। मैं नीचे चली आयी और प्रमुख सचिव का संदेश उन्हें दिया। उन्होंने यह कहते हुए कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, किस बात के लिये गिरफ्तार करूँ? शांतिपूर्वक बैठे हैं, गिरफ्तारियाँ करने से इंकार कर दिया। लगभग 2.30 बजे तक सूचना आई कि मूर्ति पुराने मंदिर से निकाल ली गई है। साधु संत अभी भी नीचे बैठे थे। 4-5 बजे के लगभग यह संदेश आया कि सब नीचे से हट जायें, पुलिस को ऊपर आने दें। साधु संत और श्रद्धालु सभी पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। अधिकारियों से भी ऊपर जाने को कहा गया, किन्तु अब वे जाने को तैयार नहीं थे। एस.पी. ने स्पष्ट मना कर दिया कि अभी समाज उत्तेजित है, इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि आई. जी., कमिशनर भी ऊपर न जाएँ, कल शांति से आचार्य श्री से मिल लंगे। वे नहीं गए। ऊपर बड़े बाबा अपने नवीन आसन पर विराजमान हो चुके थे। छोटे बाबा का बड़ा काज सम्पन्न हो चुका था, लगभग निर्विघ्न, किन्तु दो छोटे दोषसहित। एक हुआ पत्रकार आजम खान का कैमरा छीने जाने का प्रकरण, जिसमें उसने मेरा नाम अकारण उलझाया और दूसरा 12 वर्षीय बच्ची की कुण्डलपुर ग्राम में बलात्कार की घटना, जिससे स्वार्थी तत्त्वों ने राजनीतिक रोटियाँ सेंकीं।

मंत्रीपत्नी ने कैमरा नहीं छीना, पत्रकार की जान बचायी

सायं 6-7 बजे मैं ऊपर बड़े बाबा के पास पहुँचने के लिए भीड़ के रेले में ही थी कि किसी ने मुझसे कहा कि राष्ट्रीय सहारा का प्रतिनिधि आजम खान फोटोग्राफी कर रहा है। जैन युवक उत्तेजित थे। अब वे उसे सबक सिखाने के मूड में थे। शहर में वह पहले भी नादनियाँ कर चुका था, आज अवसर था। मैंने उन्हें तत्काल डाँटा और रोका। मुझे अत्यधिक चिंता हुई। मैं नहीं चाहती थी कि अकारण विवाद की स्थिति बने कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो। मैं किसी तरह बेदी के पास पहुँची ही थी। किसी ने बताया उसका कैमरा किसी ने ले लिया है। पूछने पर पता चला कि अभी तक जैन साध, साधिव्याँ, सामान्यतः जिनको लोगों ने केवल

शांत या ध्यानावस्था में देखा है, आज बड़े बाबा की सेवा में रत थे, व्यवस्था बना रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि ऐसे समय कोई फोटोग्राफी वहाँ करे। लेकिन कैमरा किसने लिया, किसके पास है, कुछ पता नहीं चला। आजम खान को पूछने पर वह सामने आया, वह मंदिर की अनिर्मित दीवार पर ऊपर खड़ा था। मैंने उससे केवल यही पूछा आजम तुम सुरक्षित हो न? उसने कहा हाँ मैं सुरक्षित हूँ। किन्तु मामला संवेदनशील था। आजम खान की उपस्थिति के वहाँ कुछ और ही अर्थ थे। मैंने उससे चिंचित स्वरों में कहा आजम तुम्हें यहाँ नहीं आना था। उसने कहा 'भाभीजी मुझे मेरा कैमरा दिलवा दीजिए।' मैंने कहा, 'मुझे पता नहीं किसने लिया, किसके पास है, पर पता लगाकर बताऊँगी।' उसे साधुओं के पीछे बैठा दिया गया, जब तक कि कार्यक्रम सम्पन्न न हो जाये। बात आई-गई हो गई। उस दिन मेरी चिंता के विषय कुछ और थे कि रैपिड एक्शन फोर्स पहाड़ पर कब्जा कर सकती थी, कुछ मार-पिटाई न हो जाए। यद्यपि बाद में न पुलिस आई, ने रैपिड एक्शन फोर्स, न जाने कौन प्रेरणा दे सबके मन में बैठा काम करा रहा था।

संध्या हो चुकी थी, मैं रात्रि में दमोह लौट आयी। 18 जनवरी की सुबह को किसी ने फोन पर सूचना दी कि राष्ट्रीय सहारा चैनल पर आपके विषय में पट्टी चल रही है कि मंत्री पत्नी ने कैमरा छीना। मेरे लिए यह आश्चर्य और पीड़ा का विषय था। सस्ता प्रचार पाने के लिए मीडिया कितना शारीरी हो सकता है! वह चाहे तो दंगे करवा सकता है, चरित्र हनन कर सकता है। मंत्रीपत्नी का नाम लेने से ही तो उसकी न्यूज चटपटी और सनसनीखेज बनती थी। बड़े बाबा की मूर्ति विस्थापन के बारे में भी भ्रामक, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर जानकारी दी गई। कुछ हुआ नहीं था, लेकिन पर्याप्त झूठ प्रचारित किया गया। यहाँ तक कि आश्चर्यजनकरूप से आजम खान ने पटेरा थाने में 27 तारीख को मेरे खिलाफ कैमरा लूट प्रकरण में एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई, यह स्वीकार करते हुए कि सुधा मलैया ने कहा था उसे कैमरा दिलवा दूँगी। विडम्बना यह थी कि 24 तारीख को कैमरा की थाने के जब्ती थी, जिसे किसी ने वहाँ जमा करवाया था। कानून का इससे बड़ा मखौल क्या था? सद्भावनापूर्वक किये गये व्यवहार का उसने कैसा सिला दिया था। वह प्रशासन के कुछ जिम्मेदार लोगों के हाथ में खेल रहा था, किन्तु साँच को आँच कहाँ?

अपवित्र घिनौना, 12 वर्षीय बच्ची के दुर्भाग्यपूर्ण

बलात्कार का राजनीतिकरण

बड़े बाबा के इस पवित्रकाज में एक अपवित्र घिनौना दोष लगा, निर्दोष 12 वर्षीय काछी समाज की मासूम बच्ची के निर्मम बलात्कार से। कितने बजे हुआ, किसने किया, पुलिस आज तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाई। कुछ का कहना है कि बलात्कार कुण्डलपुर ग्राम में हुआ। अन्य लोगों का आरोप है कुण्डलपुर पहाड़ी पर हुआ। प्रमाणों के अभाव में अभी भी पुलिस निर्णय पर नहीं पहुँची थी। कतिपय तत्त्व सक्रिय हो गये थे। जाने कब-कब का छुपा बैरी जातिगत विद्वेष फूटकर बाहर आने लगा। पुरानी शिकायतों / शिकवों की आड़ में परोक्ष रूप से श्री जयंत मलैया के विरुद्ध और अपरोक्षरूप से जैन समाज के खिलाफ भी आरोप लगे कि जैन युवकों ने किया। प्रश्न यह नहीं रहा कि जो भी बलात्कारी है उसे पकड़कर सजा दी जाये। चाहे वह किसी भी समाज वर्ग का हो। ग्रामीण या शहरी, स्थानीय या बाहरी, युवक या वृद्ध, अमीर या गरीब, नेतापुत्र या मजदूरपुत्र, कोई मेरा निकट स्वजन भी हो तो उसे भी मिले कठोरतम सजा। क्योंकि इस भर्त्सनीय कृत्य की जितनी भी निंदा की जाये थोड़ी है। सबने निंदा की भी, जैन अजैन समाज, सभी का एक ही रुख रहा। किन्तु सेंकनेवालों ने राजनीतिक रोटियाँ सेंकनी शुरू कर दीं, दमोह जिले में महीने भर के भीतर उनने इतने बंद करवा दिये, जो जिंदगी भर न करवा सके थे, वह अब कर दिखाया। यह सक्रियता जिनकी भी है, इतनी ही अपने उद्देश्य में शुभ होती, तो आगे भी वे जिले में किसी भी बलात्कार को लेकर इतनी ही सक्रियता व चिंता दर्शाते, पर यहाँ तो दुर्भावना थी। वह समय दूर नहीं जब दूध और पानी का पानी हो जायेगा। अपराधी निश्चित कठघरे में होंगे।

अम्बिका मठ व हनुमान मंदिर का सत्य

कुछ पत्रकारों ने जान-बूझकर आग भड़काई थी, अफवाहों का बाजार गर्म किया था। जैन-हिंदू समाज में खाई पड़ जाये, यही एकमात्र उद्देश्य था। कहा गया, अम्बिका मठ तोड़ दिया गया। हनुमान जी की मंदिर खंडित कर दिया गया आदि-आदि। दमोह शहर के हर समाज को सप्रयास उकसाया गया। भावनाओं को भड़काया गया, यहाँ तक कि हिन्दुत्व के प्रबल समर्थक भी भ्रम में आ गये। अपने सम्पूर्ण राजनीतिक कार्यकाल में मेरा यह पहला अनुभव था, जब मैंने जातिगत विद्वेष के जहर को इस प्रकार अच्छे-अच्छों की मति पलटाते देखा। मुझे गहरी पीड़ा हुई। शत्रु

अपना काम करे। ठीक है, किन्तु मित्र उनकी चालों में आकर शत्रुवत् व्यवहार करें, यह पीड़ादायक था। शत्रु किसी सीमा तक अपनी चाल में कामयाब हुए, किन्तु कुछ समय तक। कुछ लोगों से मैंने प्रश्न किया था - कभी देखा है अम्बिका मठ? 5 वर्ष पहले चोरी गई अम्बिका की मूर्ति का विवाद उठाया गया। आरोप लगाया जैन समाज ने चोरी करवाई, विद्वेषपूर्ण परचे बाँटे कि विशेष समाज के द्वारा हिन्दू मूर्तियों को क्षति पहुँचाई गई। किस पर आरोप लगा रहे थे वे? मालूम है अम्बिका देवी की मूर्ति जैन मूर्ति है, युगल मूर्ति है, भगवान नेमीनाथ के गोमेध यक्ष व यक्षिणी की? जैन समाज अपनी ही मूर्ति को चोरी क्यों करवाना चाहेगा, और बाकी दोनों उमा-महेश्वर एवं लक्ष्मीनारायण की मूर्तियाँ अम्बिका मठ में सुरक्षित हैं? हनुमान मंदिर तक गये हो कभी? जैन समाज ने अपने स्वामित्व की भूमि वहाँ हनुमान मंदिर निर्माण के लिए दी है। जानते हो रुक्मणिमठ में वर्तमान में पूज्य मूर्ति तीर्थकर की खंडित पद्मासन मूर्ति है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम यह समझे थे। हमें उसने समझाया था। हम यह सोचकर उसमें थे कि खंडित मूर्ति है? उनके पास कोई जवाब नहीं था, हम पर यह समझे थे, हमें उसने समझाया था, हम यह सोचकर उसमें शामिल थे कि आंदोलन गलत लोगों के हाथों में न चला जाए। बौद्धिक दीवालियेपन की काई सीमा न थी। वर्तमान में विदिशा संग्रहालय में रखी, चोरी गई गोमध अम्बिका की मूर्ति भी वापस अम्बिका मठ में आये और हनुमान मंदिर भी बने, यही सबकी भावना है, सकल जैन समाज की भी शासन की भी।

मीडिया ने पर्याप्त आग उगलने का कार्य किया। यदि सतर्कता न बरती जाती तो जैन-हिन्दू-दंगे हो सकते थे। शहर वातावरण तनावपूर्ण हो गया। ईश्वर की कृपा रही कि कुछ अनर्थ नहीं हुआ, सभी ने यथासंभव संयम बरता। बड़े बाबा की कृपा से, छोटे बाबा की तपस्या से सभी कार्य निर्विघ्न सम्पन्न हो गये और 19 जनवरी को अपार जन-समुदाय के बीच मंत्रोच्चारण के साथ बड़े बाबा की विधिवत् नये स्थान पर आचार्य श्री के निर्देशन में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई।

किन्तु बात तो अब शुरू हुई थी, 16 जनवरी को ही केन्द्रीय पुरातत्व विभाग की ओर से केस जबलपुर स्थित म.प्र. उच्च न्यायालय में चला गया, उनमें शंकाओं को जन्म दिया गया, भ्रामक प्रचार हुआ, सैकड़ों प्रश्न हवा में उछले,

कुंडलपुर संरक्षित स्मारक है या नहीं, पुरातत्व विभाग का उस पर कितना अधिकार है, कब्जा किसका है, भू-स्वामी कौन है? इस संपूर्ण प्रसंग के परिणाम जैन समाज में, देश में व हिन्दू समाज में क्या होंगे? स्थानानंतरण में अतिशय में कमी आ गई इत्यादि।

पवित्रता स्थान से अधिक मूर्ति की है

17 वीं शती में निर्मित बड़े बाबा का पहला मंदिर न तो मूलनायक प्रतिमा का मूल प्राचीन मंदिर था। न ही मूल गर्भगृह। महत्व मूर्ति की पवित्रता, प्राचीनता एवं पूजनीयता का अधिक है, स्थान का नहीं।

मंदिरों की परिसंस्कार परम्परा

मथुरा में चौरासी के 200 वर्ष से अधिक प्राचीन जिनालय में ऊपर चौबीस वेदियाँ बनाकर नवीन चौबीसी विराजमान की जा रही है। आमेर के भगवान् नेमीनाथ जिनालय में बीच की वेदी पूरी हटाकर, नवीन निर्माण किया गया। भगवान् महावीर जिनालय, गोपाल जी का रास्ता, जयपुर में पुरानी वेदियाँ हटाकर नया हॉल निर्मित किया जा रहा है। श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र के जिनालय में नीचे भूतल का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार किया गया। इसी मन्दिर में से ऊपर कुछ प्रतिमाएँ लाकर अलग से विराजमान की गईं। शान्तिवीरनगर, महावीर जी के मन्दिर का आमूलचूल परिवर्तन किया गया। भगवान् पार्श्वनाथ मन्दिर, जग्गा की बावड़ी का पूरा प्राचीन निर्माण हटाकर नवीन निर्माण किया गया। इन सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन मन्दिर में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन-परिवर्धन होते रहे हैं, होते रहते हैं, होते रहेंगे।

बड़े काज में छोटे बाबा के भक्तों को भूमिका

जीवित मंदिरों के जीर्णोद्धार का प्रश्न हो अथवा नये मंदिरों के निर्माण का, इस प्रकार का कोई भी कार्य सदा से सर्वमान्य गुरुओं के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से ही संभव हुआ। कुंडलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रथम चातुर्मास 1976 से लेकर 1978 में शिखर के जीर्णोद्धार, प्रथम महामस्तकाभिषेक 2001 से लेकर 19 जनवरी 2006 को बड़े बाबा की नये मंदिर में पुनर्प्रतिष्ठा तक जो भी कार्य हुआ, वह उन्हीं के निर्देश, आशीर्वाद व प्रेरणा से हुआ, देशभर के सम्पूर्ण दिग्म्बर जैन समाज के धर्मानुरागियों ने तन, मन, धन से सहभागिता दर्शायी।

इस सम्पूर्ण प्रकरण में आवश्यक है आचार्यश्री के समर्पित भक्तों का उल्लेख। कुंडलपुर क्षेत्र की प्रबंध समिति

के अध्यक्ष श्री संतोष सिंघई, चौधरी रूपचंद जैन एवं महामंत्री सत्यपाल जैन आदि पदाधिकारियों की सहनशीलता, कर्मठता का, जिन्होंने गुरु की आज्ञा मानने और पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय आचार्य श्री के बाद किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वह है निर्माण समिति के प्रभारी वीरेश सेठ। स्तुत्य है उसकी कर्मठता, अभिनंदनीय है उसका बड़े बाबा और छोटे बाबा के प्रति समर्पण, जिस प्रकार कुशलतापूर्वक आँपरेशन मोक्ष को उन्होंने अंजाम दिया, बिना थके, बिना रुके, न दिन देखा-न रात, इस योजना को सफल बनाने में योगदान दे सकने वाले हर व्यक्ति का सहयोग लेने में जिस प्रकार बुद्धिमत्तापूर्वक और किसी भी समय प्रत्येक अप्रिय स्थिति को टालने में समन्वयक का जो कार्य उन्होंने किया, उसे शब्दों में नहीं बाँधा जा सकता है। छोटे बाबा का यह बड़ा-सा भक्त निश्चित रूप से ऐरावत हाथी जैसा तीक्ष्णबुद्धि-सम्पन्न एवं गुणयुक्त सिद्ध हुआ। सम्पूर्ण जैन समाज को उन पर गौरव है। इस पूरे यज्ञ में अनेक दातारों ने मुक्त हस्त से आहुति दी। जैसा सेवा दल के युवकों ने अपना श्रमदान दिया। अनेक विशेषज्ञों ने बिना मूल्य लिए अपने सेवाएँ दीं। आई. आई. टी. इंजीनियरों का योगदान सराहनीय था, जिसके कारण ही सभी जिनबिम्बों को निकाला जा सका। किन्तु यह मानना होगा इस सम्पूर्ण प्रसंग में, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की विवेकशीलता, संवेदनशीलता व दूरदर्शिता के कारण ही अप्रिय स्थितियों को टाला जा सका। शायद बड़े बाबा का काज उन्हीं के कार्यकाल में होना लिखा था। शासन के रुख के कारण ही वे प्रशासनिक निर्णय नहीं लिये जा सके, जिसके कारण सैकड़ों जानें जा सकती थीं।

बड़े बाबा मूर्ति स्थानांतरण के परिणाम

कतिपय बुद्धिमान व्यक्तियों एवं पुरातत्त्व विभाग ने बार-बार चिंता जतायी कि इस एक उदाहरण से सभी सम्प्रदाय अपने-अपने धार्मिक स्थलों के साथ मनमानी करने की छूट चाहेंगे। पत्रकारों ने भी बार-बार यह चिंता जतायी। किन्तु उदाहरण गलत दिये जा रहे हैं। प्रथमतः न यह संरक्षित स्मारक है, न ही यहाँ पुरातत्त्व विभाग का कभी कोई आधिपत्य रहा, न प्रबंधन। इसकी तुलना केवल तिरुपति बालाजी, या वैष्णो देवी, बांदकपुर आदि मंदिरों के द्रुस्त से की जा सकती है, ताजमहल व लाल किले से नहीं। रायसेन की मजार व अजमेर शरीफ से की जा सकती है, 'मस्जिद मोठ' से नहीं।

यह किसी समाजविशेष की मनमानी किये जाने का उदाहरण नहीं, अपितु पुरातत्त्व विभाग द्वारा अकारण हस्तक्षेप का उदाहरण है, जीवित मंदिरों को मृत स्मारकों में बदलने की साजिश है, जीवन को मुख्य धारा से काटकर, अलग-थलग बन्द चारदीवारी में रखने के प्रयास हैं। हमारी धरोहर, हमारी विरासत, हमारे जीवन का अंग होना चाहिए, कोई अलग सा हिस्सा नहीं। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण हमारे गर्व का विषय होना चाहिए, दर्द का नहीं। प्राचीन मंदिरों, स्मारकों में जीवन की हलचल हो, उपयोगिता हो, वही उनका सबसे बड़ा संरक्षण व रक्षण है। पुरातत्त्व विभाग की भावना स्पष्ट रूप से सकारात्मक तथा राष्ट्र व समाज के हित में होनी चाहिए। यह खेद का ही विषय है कि पुरातत्त्व विभाग ने अपनी याचिका में बच्ची से बलात्कार का जिक्र किया। पुरातत्त्व विभाग के दायित्व क्या अब बदल गये हैं? यह चिंता का विषय है जिस पर सभी जागरूक लोगों को ध्यान देना चाहिए।

कुण्डलपुर की मंदिर व मूर्तियाँ संरक्षित की श्रेणी में नहीं

16 तारीख को केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग ने न्यायालय में याचिका दायर की और उस पर 16 तारीख को 3 सुनवाइयाँ हुईं। उसको आगे बढ़ाते हुए 17 जनवरी को पुनः सुनवाई हुई और पुरातत्त्व विभाग की याचिका पर उच्च न्यायालय ने सायं 4.30 - 6.00 बजे यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, उसके पश्चात् 6 मार्च को सुनवाई हुई और फिर 24 अप्रैल को। भारतीय पुरातत्त्व विभाग का दावा था कि भगवान आदिनाथ की प्रतिमा प्राचीन सम्पदा है और बड़े बाबा का मंदिर संरक्षित स्मारक।

भारतीय पुरातत्त्व विभाग का दावा 1904 के प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत दिनांक 16.07.1913 तथा 13.11.1914 को मध्य प्रांत के मुख्य आयुक्त के अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं पर आधारित है, जिसको आधार बनाकर विभाग, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 (1958 एक्ट) के प्रावधानों को कुण्डलपुर के मंदिरों, मूर्तियों के संदर्भ में लागू करना चाहता है। किन्तु वास्तविकता यह है कि 1958 एक्ट के प्रावधान कुण्डलपुर पर लागू नहीं है, इसके निम्न कारण हैं -

1. भारत के समस्त प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक दो श्रेणियों में वर्गीकृत हैं। संघ सूची क्रमांक 67 के अंतर्गत

संसद द्वारा बनाये गये किसी कानून के द्वारा अथवा अनुवर्ती सूची क्रमांक 40 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारक तथा राज्य सूची क्रमांक 12 के अंतर्गत सम्मिलित वे स्मारक जो राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं। 1958 एक्ट की धारा 2(1) के बल वे स्मारक संरक्षित हैं, जिन्हें इस कानून के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हो या जिन्हें प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक अधिनियम 1951, जो केवल राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की घोषणा के लिए बनाया गया, के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गये हों, साथ ही 1951 एक्ट में वही स्मारक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किये गये जो 1904 के अंतर्गत संरक्षित स्मारक घोषित किये गये थे।

2. प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्त्विक धरोहर व अवशेष एक्ट 1964, मध्यप्रदेश की धारा 38 के अनुसार प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 के प्रावधान मध्यप्रदेश राज्य के प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों एवं पुरातात्त्विक अवशेषों के संदर्भ में लागू नहीं हैं, केवल उन विषयों को छोड़कर जिन पर के प्रावधान पहले लागू हो चुके हैं।

3. 1904 अधिनियम के तहत जारी सभी संरक्षित स्मारकों की अधिसूचना केवल केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के द्वारा ही जारी की जा सकती थी।

4. 1904, 1951 व 1958 के अधिनियमों के अनुसार केवल राष्ट्रीय महत्व के स्मारक ही संरक्षित होंगे। इसके अतिरिक्त जो भी प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक हैं, वे राष्ट्रीय स्मारक नहीं होंगे व 1964 के अधिनियम के तहत राज्य के अधिकार क्षेत्र में आयेंगे।

5. 1904 अधिनियम की धारा 3 में 1937 के एक संशोधन द्वारा संरक्षित स्मारकों के संदर्भ में अधिसूचना जारी करने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार को दिया, जो इसके पूर्व स्थानीय सरकार को भी था। अतः 1958 एक्ट के प्रावधान केवल उन अधिसूचनाओं पर लागू हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा 1937 के बाद जारी की गई या जिनके संदर्भ में केन्द्र सरकार ने स्पष्ट अधिसूचना 1904 या 1958 के एक्ट के तहत सम्पूर्ण प्रक्रियाएँ पूरी करते हुए की हों। यदि ये अर्हताएँ पूरी नहीं होतीं, तो वह स्मारक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नहीं माना जा सकता।

6. 1958 एक्ट के प्रावधान उन स्मारकों पर नहीं लागू हैं, जिनके संदर्भ में केन्द्र सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।

7. 1958 के प्रावधान को मानना गैर राष्ट्रीय महत्व

के स्मारकों पर लागू करना गैरकानूनी और गैरसंवैधानिक है, क्योंकि ऐसा करने से 1964 अधिनियम निष्क्रिय एवं प्रभावहीन होगा।

8. इन संदर्भों में 200-300 वर्षों से श्री देव पार्श्वनाथ जी मंदिर समिति, कुण्डलपुर 16 जुलाई 1913 की अधिसूचना के पूर्व मंदिरों का प्रबंधन, रखरखाव एवं मरम्मत तथा जीर्णोद्धार करवाती रही और उसी के पास कुण्डलपुर के मंदिरों का स्वामित्व एवं कब्जा रहा।

9. 16 जुलाई 1913 एवं 13.11.1914 की अधिसूचना मध्यप्रांत मुख्य आयुक्त के अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी की गई थी, न कि केन्द्र सरकार के द्वारा, स्वतंत्रता पूर्व केन्द्र सरकार का अर्थ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कार्यकारी समिति अर्थात् गवर्नर इन काउंसिल थी। केन्द्र सरकार ने कभी भी 1904 अथवा 1958 के तहत कुण्डलपुर के मंदिरों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित नहीं किया, क्योंकि कुण्डलपुर के मंदिर धराहर जरूर हैं, स्मारक नहीं हैं, वे पूजा के जीवन्त स्थल हैं। कुण्डलपुर के मंदिर प्रथमतः स्मारक नहीं, जीवित मंदिर हैं और द्वितीयतः ये 1958 एक्ट के तहत नहीं आते हैं और इस दृष्टि से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कोई भी अधिकार मंदिरों पर नहीं है और न ही वे संरक्षित स्मारक हैं।

कुण्डलपुर मंदिर गवर्नर इन काउंसिल द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित नहीं हुए

1913 और 1914 में जो अधिसूचना जारी की गई थी, उसकी पुष्टि करने का अधिकार 1904 एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत केवल गवर्नर इन कॉउंसिल को था, जो कुण्डलपुर के संदर्भ में नहीं हुआ। मध्यप्रांत के बारे में 1904 के बाद जारी सभी अधिसूचनाओं का गवर्नर इन कॉउंसिल द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक था, जैसा कि निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हैं -

गवर्नर इन कॉउंसिल के पत्र क्रमांक C-72-A-B-358 दिनांक 11.04.1925 से स्पष्ट होता है कि उसमें संरक्षित स्मारकों में कुण्डलपुर के संदर्भ में केवल सपाट छत वाले मंदिर का उल्लेख किया है। दिनांक 10.07.1916 की अधिसूचना क्रमांक 180, जिसकी मुख्य आयुक्त ने भी पुनः पुष्टि अधिसूचना संख्या 932, दिनांक 27-8-1917 की थी, उसे भी दुबारा गवर्नर इन काउंसिल में 1904 एक्ट ds-5-3 (3) के अंतर्गत पुनः कनफर्म किया गया। इसी प्रकार दिनांक 28.07.1916 की अधिसूचना क्रमांक 280, जिसकी पुनः

पुष्टि अधिसूचना क्रमांक 234, दिनांक 27.08.1917 प्रमुख आयुक्त ने की थी, को गवर्नर इन कॉउंसिल ने पुनः अधिसूचना क्रमांक P-72-A-B-358 तथा सूची क्रमांक 43 व 44 की पुष्टि अधिसूचना दिनांक 11.4.1925 से की। अधिसूचना क्रमांक 19 की पुष्टि गवर्नर इन कॉउंसिल ने अधिसूचना क्रमांक C-72-A-B-358 दिनांक 11.4.1925 की सूची क्रमांक 48 पर की। उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि कुण्डलपुर के मंदिर कभी भी संरक्षित घोषित नहीं हुए।

पुरातत्त्व विभाग की भूमिका

पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में एवं गलत जानकारियों के कारण पुरातत्त्व विभाग इस सम्पूर्ण प्रकरण में अकारण उलझा, फिर भी प्रश्न केवल एक है कि जिस किसी भी नोटीफिकेशन के आधार पर, जब कभी भी विभाग ने पाया कि कुण्डलपुर के पहाड़ी पर के मंदिर उसके संरक्षित स्मारक हैं, तो उसके बाद उसने किया क्या? कौन सा दायित्वनिर्वहन, मंदिरों की सुरक्षा, रख-रखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार हेतु कब किया? कितने आश्चर्य की बात है कि आज दिनांक तक

एक भी छदम पुरातत्त्व विभाग ने इन जैन मंदिरों पर खर्च नहीं की। उसका दृष्टिकोण कुछ ऐसा ही रहा कि बच्चे पर अधिकार तो मेरा है, किन्तु जो उसे अपना मानते हैं वे उसे अच्छे से पाल रहे हैं, इसलिए मुझे चिंता की जरूरत नहीं।

सिद्ध है कि धर्म व पुरातत्त्व की सुरक्षा किन्हीं चंद व्यक्तियों की नहीं, सम्पूर्ण समाज की चिंता का विषय थी, इस जीर्णोद्धार को समस्त मुनिसंघ और अधिकांश जैनसमाज की स्वीकृति थी। यही कारण है कि समाज ने इसके विरोध पर तीखी, अनचाही और अनपेक्षित प्रतिक्रिया व्यक्त की, चाहे वह समाज के व्यक्ति द्वारा की गई अथवा पुरातत्त्व विभाग या प्रशासन के द्वारा। आचार्यों तथा देव, शास्त्र व गुरु का अकारण विरोध न वंदनीय है, न स्तुत्य। सच पूछा जाये तो जिनकी चिंता का यह विषय रहा है और है, वे ही उसकी चिंता करते रहे हैं, करते रहेंगे, धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यावहारिक दृष्टि से पूरे तत्त्वों - वास्तु, कलात्मकता, प्राचीन संस्कृति, भव्यता, पवित्रता तथा सुरक्षा और अखण्डता का ध्यान रखते हुए।

भोपाल, म.प्र.

- इस संसार में धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो पर-भव में भी जीव के साथ जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य सब वस्तुएँ उसी पर्याय में नाता तोड़ देती हैं। जैसे बंधुगण तो शमशान तक ही साथ देते हैं, धन घर में ही पड़ा रह जाता है, और शरीर चिता की भस्म बन जाता है।

In this world of transmigration, it is *dharma* alone that accompanys the soul when it passes into another body. All things other than that, forsake company in this mode (*paryaya*) itself. Relatives, for instance, accompany upto the crematorium (*smasana*), wealth remains behind at home and body is reduced to ashes.

- हे आत्मन्! जबकि शरीर अचेतन, अनित्य और अपवित्र है, किन्तु तू सचेतन, नित्य और पवित्र है, तब तुम दोनों में अभेद (एकता) कैसे हो सकता है?

O soul! this body is unconscious, ephemeral and unholy while you are conscious, eternal and pure. How then can you two be one and the same?

- जैसे रात्रि में दुर्भेद्य सघन अंधकार को एक मात्र सूर्य ही नष्ट कर सकता है, अन्य कोई नहीं, वैसे ही जिनेन्द्र भगवान् के वचन एवं जिनागम को छोड़कर अन्य कोई भी पाप को नष्ट करने में समर्थ नहीं है।

Just as the impenetrable darkness of night can be dispelled only by the sun, and by none else, similarly nothing other than the words of Lord *Jina* and *Jina* scriptures are capable of destroying sin.

वीरदेशना

जिज्ञासा-सामाधान

पं. रत्नलाल बैनाड़ा

प्रश्नकर्ता - नमन कुमार गोधा, जयपुर।

जिज्ञासा - क्या ऋद्धिधारी मुनि एक साथ अनेक रूप धारण कर सकते हैं ?

समाधान - जो कामरूपित्व नामक ऋद्धि के धारक मुनिराज होते हैं, वे एक साथ अनेक रूप बनाने की शक्ति को रखते हैं। कामरूपित्व ऋद्धि की परिभाषा शास्त्रों में इस प्रकार कही गई है -

तिलोयपण्णति 4/1032 में इस प्रकार कहा है -

“जुगवं बहुरूपाणि जं विरयदि कामरूपरिद्धी सा ।”

अर्थ - जो एक साथ अनेक रूपों की रचना करती है, वह कामरूपित्व नाम की ऋद्धि है।

तत्वार्थवार्तिक 3/36 में इस प्रकार कहा है -

“युगपदनेकाकाररूपविकरणशक्तिः काय-रूपित्वमिति ।”

अर्थ - एक साथ अनेक आकारवाले रूप बनाने की शक्ति को कामरूपित्व ऋद्धि कहते हैं।

जिज्ञासा - क्षपितकर्मांशिक किसे कहते हैं ?

समाधान - श्रीध्वला पु. 10, पृ. 268 पर क्षपितकर्मांशिक का स्वरूप इस प्रकार कहा है - “जो जीवों सुहुमनिगोदजीवेसु --- जहणा ।”

अर्थ - जो जीव पल्योपम के असंख्यात्वे भाग से हीन कर्मस्थितिकाल (70 कोड़ाकोड़ि सा.) तक सूक्ष्म निगोद जीवों में रहकर अपर्याप्त व पर्याप्त भवों को यथाक्रम से अधिक व अल्प ग्रहण करता रहा है। इस प्रकार से परिभ्रमण करता हुआ वहाँ से निकलकर क्रम से बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, पूर्वकोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्य, दस हजार वर्ष की आयु वाले देव, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्मनिगोद जीव पर्याप्त और बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, इन जीवों में उत्पन्न होकर यथायोग्य सम्यक्त्व व मिथ्यात्व आदि को प्राप्त होता रहा। इस प्रकार नाना भवों में परिभ्रमण करता हुआ आठ संयमकांडकों का पालन कर, चार बार कषायों को उपशमाकर और पल्योपम के असंख्यात्वे भाग मात्र संयमासंयमकाण्डक व सम्यक्त्वकाण्डकों का परिपालन कर अन्त में फिर से भी जो पूर्वकोटि आयुवाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ व वहाँ सबसे अल्पकाल में योनिनिष्क्रमणरूप जन्म से आठ वर्ष का होकर संयम को प्राप्त हुआ। वहाँ कुछ कम

पूर्वकोटि मात्र भवस्थिति तक संयम का परिपालन करते हुए जो थोड़ी सी आयु के शेष रह जाने पर क्षपण में उद्धत होकर अन्तिम समयवर्ती छद्मस्थ-क्षीणकषाय गुणस्थान के अन्तिम समय को प्राप्त हुआ है, वह क्षपितकर्मांशिक कहलाता है।

जिज्ञासा - वर्तमान में पद्मावती देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ निर्मित हुई हैं, जिनमें पद्मावती देवी के मस्तक पर भ. पार्श्वनाथ विराजमान हैं। तो क्या वास्तव में पद्मावती देवी ने भ. पार्श्वनाथ को उपसर्ग के समय अपने मस्तक पर उठाया था ? अथवा ये मूर्तियाँ काल्पनिक हैं ?

समाधान - भ. पार्श्वनाथ का प्राचीनतम जीवन-चरित्र-वर्णन उत्तर-पुराण से प्राप्त होता है। उत्तरपुराण सर्ग-73, पृ. 438 पर इस प्रकार कहा गया है - “तदनन्तर जिस वन में दीक्षा ली थी उसी वन में जाकर तीर्थकर पार्श्वनाथ देवदारु नामक एक बड़े वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। --- वे सात दिन का योग लेकर धर्मध्यान को बढ़ाते हुए विराजमान थे। इसी समय कमठ का जीव संवर नाम का असुर आकाश मार्ग से जा रहा था कि अकस्मात् उसका विमान रुक गया। जब उसने विभंगावधि ज्ञान से इसका कारण देखा, तो उसे अपने पूर्व भव का सब बैर-बंधन स्पष्ट दिखने लगा। फिर क्या था, क्रोधवश उसने महार्जना की, और महावृष्टि करना शुरू कर दिया। इस प्रकार यमराज के समान अतिशय दुष्ट उस दुर्बुद्धि ने सात दिन तक लगातार भिन्न-भिन्न प्रकार के महाउपसर्ग किये। यहाँ तक कि छोटे-मोटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिराए। (134-138)। अवधिज्ञान से यह उपसर्ग जानकर धरणेन्द्र अपनी पत्नी के साथ पृथ्वीतल से बाहर निकला, उस समय वह धरणेन्द्र, जिस पर रत्न चमक रहे हैं, ऐसे फणारूपी मण्डप से सुशोभित था। धरणेन्द्र ने भगवान को सब ओर से घेरकर अपने फणाओं के ऊपर उठा लिया और उसकी पत्नी वज्रमय छत्र तानकर खड़ी हो गई। (139-140)।

उपर्युक्त आगमप्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि भ. पार्श्वनाथ को धरणेन्द्र ने अपने फणाओं के ऊपर उठाया था। उसकी पत्नी ने तो भगवान् के ऊपर वज्रमय छत्र ताना था। भ. पार्श्वनाथ की जो प्राचीन मूर्तियाँ छठी शताब्दी से दशवीं शताब्दी तक की प्राप्त होती हैं, उनमें भी धरणेन्द्र की पत्नी को छत्र तानते हुए ही दिखाया गया है। इन प्रकरणों से स्पष्ट होता है कि पद्मावती द्वारा (उत्तरपुराणकार ने धरणेन्द्र

की पत्नी के रूप में पदमावती का नाम नहीं लिखा है) भ. पाश्वर्नाथ को सिर पर उठाने का प्रसंग आगमसम्पत नहीं है। अतः ऐसी मूर्तियों को आगमानुसार कैसे माना जाये ?

जिज्ञासा - सम्यक्त्वाचरण तथा स्वरूपाचरण चारित्र क्या पर्यायवाची हैं या इनमें कुछ अन्तर है ?

समाधान - स्वरूपाचरण नामक चारित्र का वर्णन किसी भी आचार्य ने नहीं किया। यह तो पंचाध्यायीकार पाण्डे राजमल जी की कल्पना मात्र है। आचार्य कुन्दकुन्द ने चारित्रपाहुड़ गाथा 5 से 10 तक जो सम्यक्त्वाचरणचारित्र का वर्णन किया है, उसका संबंध सम्यक् चारित्र से बिल्कुल नहीं है। आचार्य कुन्दकुन्द ने 25 दोषों से रहित और अष्ट अंग से सहित सम्यग्दर्शन को धारण करना सम्यक्त्वाचरण-चारित्र कहा है। सम्यक्चारित्र को संयमाचरणचारित्र नाम से अलग कहा है। इस संयमाचरण चारित्र को धारण करने वाला ही मोक्षमार्गी कहलाता है। जिसके पास सम्यक्त्वाचरण चारित्र नहीं है, उसके पास सम्यग्दर्शन भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। शास्त्रों में स्वरूपाचरण नामक चारित्र तो नहीं कहा, पर ऐसा जरूर कहा है - “रागद्वेषभावलक्षणं परमं यथाख्यातस्तुपं स्वरूपे चरणं निश्चयचारित्रं भण्णति। इदानीं तदभावेऽन्यच्चारित्रमाचरन्तु तपोधनाः।” (परमात्मप्रकाश गाथा 2, 39 टीका)।

अर्थ - रागद्वेष का अभाव जिसका लक्षण है, ऐसे परमयथाख्यातस्तुप स्वरूप में आचरण निश्चयचारित्र है। वर्तमान में उसका अभाव होने से मुनिगण अन्य चारित्र का आचरण करें।

सम्यक्त्वाचरण तो चतुर्थ गुणस्थान में होता है, परन्तु स्वरूप में आचरणस्तुप चारित्र तो ग्यारहवें गुणस्थान में कहा गया है, जैसा ऊपर प्रमाण है। सम्यग्दर्शन उत्पन्न होने के साथ-साथ उसके अनुकूल आचरण भी होने लगता है, वही सम्यक्त्वाचरण कहा गया है।

जिज्ञासा - तत्त्वार्थसूत्र में अनर्थदण्डब्रतों के अतिचार में ‘असमीक्ष्याधिकरण’ से क्या तात्पर्य है ?

समाधान - श्री राजवर्तिकार ने ‘असमीक्ष्याधिकरण’ शब्द का अच्छा स्पष्टीकरण किया है, जो इस प्रकार है - बिना प्रयोजन आधिक्य करना अधिकरण है। अधिकरण शब्द में ‘अधि’ का अर्थ ‘अधिकरूप’ में है और करण का अर्थ अपूर्व प्रादुर्भाव है, अपूर्व के उत्पादन में बिना प्रयोजन आधिकर्यरूप से प्रवर्तन करना अधिकरण कहलाता है। (4)।

मन, वचन और काय के भेद से अधिकरण तीन प्रकार का है। निरर्थक काव्य आदि का चिंतन मानस अधिकरण

है। निष्प्रयोजन परपीड़ादायक कुछ भी बकवास करना, अनर्गल प्रलाप करना वाचनिक अधिकरण है। बिना प्रयोजन चलते हुए, ठहरते हुए, बैठते हुए, सचित् एवं अचित् पत्र, पुष्ट, फलों का छेदन-भेदन, कुट्टन, क्षेपण आदि करना, अग्नि, विष, क्षार आदि पदार्थ देना आदि जो क्रिया की जाती है, वह कायिक अधिकरण है। ये सर्व असमीक्ष्याधिकरण हैं, अर्थात् मन-वचन-काय की निष्प्रयोजन चेष्टा असमीक्ष्याधिकरण है। (5)।

जिज्ञासा - चतुर्गति-निगोद किसे कहते हैं ?

समाधान - इस शब्द की परिभाषा श्री धवला पु. 14, पृष्ठ 236 पर इस प्रकार कही है - “जे देव-ऐरडय-तिरिक्ष-मणुस्सेसुप्पज्जयूण पुणो णिगोदेसु पवित्रिय अच्छंति ते चदुगइणगोदा भण्णति।”

अर्थ - जो निगोदजीव देव, नारकी, तिर्यच और मनुष्यों में उत्पन्न होकर पुनः निगोद जीवों में प्रविष्ट होते हैं, वे चतुर्गतिनिगोद कहलाते हैं।

जिज्ञासा - अरहन्त अवस्था में अन्तरायकर्म के क्षय हो जाने पर क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग आदि क्या होते हैं?

समाधान - इस संबंध में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सवार्थसिद्धि टीका में इस प्रकार कहा है -

1. सम्पूर्ण उपभोगान्तरायकर्म के क्षय से केवली भगवान् को जो सिंहासन, चामर, और छत्रत्रय आदिरूप विभूतियाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें क्षायिक अनन्त उपभोग कहते हैं।

2. सम्पूर्ण भोगान्तरायकर्म के क्षय से जो पुष्टवृष्टि आदि रूप अनन्त भोग सामग्री प्राप्त होती है, उसे क्षायिक अनन्त भोग कहते हैं।

3. वीर्यान्तराय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से केवली के जो अनन्त शक्ति प्रकट होती है, उसे क्षायिक अनन्तवीर्य कहते हैं।

4. दानान्तराय कर्म के सम्पूर्ण विनाश होने से त्रिकालवर्ती अनन्त प्राणियों का अनुग्रह करनेवाला क्षायिक अभयदान प्रकट होता है।

5. सम्पूर्ण लाभान्तराय कर्म के क्षय से कवलाहारक्रिया से रहित केवलियों के क्षायिक लाभ होता है, जिससे उनके शरीर को बल प्रदान करने में कारणभूत, दूसरे मनुष्यों को असाधारण अर्थात् कभी न प्राप्त होने वाले परम शुभ और सूक्ष्म ऐसे अनन्त परमाणु प्रतिमय संबंध को प्राप्त होते हैं।

1/205, प्रोफेसर्स कालोनी
आगरा (उ.प्र.)

अब डंक मत मारो

श्रीपाल जैन 'दिवा'

मैंने बिच्छुओं से
बहुत कहा -
अब डंक मत मारो ।
तन में
खाली जगह
बची नहीं है ।
वे मानते ही नहीं
कहते हैं -
आपका तन
डंक मारने की
सुरक्षित जगह है ।
इसलिए मारते हैं डंक ।
डंक तो अच्छे तन में ही
मारा जाता है
हम से भी

ज्यादा जहरीले
तन को
डंक मारने से क्या लाभ ?
फिर उनके हाथ में जूता है
तुम्हरे पाँव में है
क्योंकि तुम आदमी हो ।
हम सब बिच्छू
तुम से ज्यादा
समझदार हैं
तुम जैसे पर ही
हम जिन्दा हैं
तुम मना मत करो
हमें जीने दो
क्योंकि -
तुम आदमी हो ।

शाकाहार सदन एल. 75, केशर कुंज
हर्षवर्द्धन नगर, भोपाल

- राग-द्वेष से रहित हो जाने पर समता भाव आविर्भूत होता है और इस समता भाव के प्रगट हो जाने से उनके आत्मबोध तथा इससे उनके कर्मों का वियोग होता है ।
With the departure of attachment and aversion, equanimity arrives, with this equanimity comes the knowledge of the self and then follows freedom from *karma*.
- महापापी मनुष्य ऐसा कोई भी पुण्य कार्य नहीं कर सकता है; जो उसके लिए आत्महित-कारक हो ।
A sinner is incapable of performing such auspicious *karmas* as are in the interest of his soul.

वीरदेशना

वर्षायोग : चातुर्मास - 2006

साहित्यमनीषी ज्ञानवारिधि दिगंबर जैनाचार्यप्रवर श्री ज्ञानसागरजी महाराज के द्वारा दीक्षित-शिक्षित जैन श्रमण-परंपरा के आदर्श संतशिरोमणि जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज तथा उनके द्वारा दीक्षित शिष्यों का बीर निर्वाण संवत् 2532, विक्रम संवत् 2063, सन् 2006 का चातुर्मास विवरण।

1. संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराजः- मुनिश्री समयसागर जी, मुनिश्री योगसागर जी, मुनिश्री प्रसादसागर जी, मुनिश्री प्रस्तसागर जी, मुनिश्री प्रणायसागर जी, मुनिश्री प्रभातसागर जी, मुनिश्री चंद्रसागर जी, मुनिश्री संभवसागर जी, मुनिश्री अभिनंदनसागर जी, मुनिश्री सुमतिसागर जी, मुनिश्री पद्मसागर जी, मुनिश्री पूज्यसागर जी, मुनिश्री विमलसागर जी, मुनिश्री अनंतसागर जी, मुनिश्री धर्मसागर जी, मुनिश्री शांतिसागर जी, मुनिश्री अरहसागर जी; मुनिश्री मल्लसागर जी, मुनिश्री सुव्रतसागर जी, मुनिश्री वीरसागर जी, मुनिश्री क्षीरसागर जी, मुनिश्री धीरसागर जी, मुनिश्री उपसमसागर जी, मुनिश्री प्रसमसागर जी, मुनिश्री महासागर जी, मुनिश्री विराटसागर जी, मुनिश्री विशालसागर जी, मुनिश्री शैलसागर जी, मुनिश्री अचलसागर जी, मुनिश्री पुनीतसागर जी, मुनिश्री अविचलसागर जी, मुनिश्री विशल्यसागर जी, मुनिश्री धवलसागर जी, मुनिश्री सौम्यसागर जी, मुनिश्री अनुभवसागर जी, मुनिश्री दुर्लभसागर जी, मुनिश्री विनम्रसागर जी, मुनिश्री अतुलसागर जी, मुनिश्री भावसागर जी, मुनिश्री आनंदसागर जी, मुनिश्री अगम्यसागर जी और मुनिश्री सहजसागर जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन सर्वोदय तीर्थ, अमरकंटक - 484446, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) फोन- कार्यालय - 07629 - 269450, 269550, चेतन एसटीडी - 269612, 269619, 269620। संपर्क सूत्र : (1) कार्यकारी अध्यक्ष : प्रमोद जैन, अंकुर इंटरप्राइजेस, विनोबा नगर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), (फोन : 07752-22076 (नि), 220075 (का), फैक्स : 231422, मो. 98271-30283) (2) महामंत्री : पी.सी. जैन - 223688 (3) धर्मेश जैन, पेंड्रा (फोन : 07751-224308) (4) वेदचंद्र जैन (पत्रकार), पेंड्रा रोड (फोन : 220680)

(5) डॉ. सुनील जैन, डिंडोरी (फोन : 07644-234149) (6) मनीष जैन, बुढार (फोन : 07652-250110, 251120)

कटनी-बिलासपुर रेलखंड पर अमरकंटक के लिए निकटवर्ती रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड 45 किलोमीटर दूर है। बिलासपुर से 101, डिंडोरी से 80, बुढार से 85 किलोमीटर दूर अमरकंटक है। दक्षिण भारत से आनेवाले यात्री नागपुर-बिलासपुर पेंड्रा रोड, उत्तर भारत/दिल्ली आदि की ओर से आनेवाले यात्री बीना-कटनी-पेंड्रा रोड होकर अमरकंटक पहुँच सकते हैं। भोपाल से अमरकंटक एक्सप्रेस सायं 4 बजे छूटती है।

2. मुनिश्री नियमसागर जी, मुनिश्री उत्तमसागर जी, मुनिश्री वृषभसागर जी, मुनिश्री नेमिसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री बाहुबली दिगम्बर जैन मंदिर, बोरगाँव तह, चिक्कोड़ी, जि. बेलगाँव (कर्नाटक)।
संपर्क सूत्र : 08338 - 231519
3. मुनिश्री क्षमासागर जी, मुनिश्री भव्यसागर जी, मुनिश्री अभयसागर जी, मुनिश्री श्रेयांससागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर, आरौन, जि. गुना (म. प्र.)।
संपर्क सूत्र : निधि दीदी : 258189।
4. उपाध्याय मुनि श्री गुप्तिसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दि. जैन मंदिर, जीटी करनाल रोड, गन्नौर, सोनीपत (हरियाणा) 131001।
संपर्क सूत्र : 01264 - 261961
5. मुनिश्री सुधासागर जी, क्षुल्लक श्री गंभीरसागर जी, क्षुल्लक श्री धैर्यसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन उदासीन आश्रम, अशोकनगर, जि. उदयपुर (राजस्थान)।
संपर्क सूत्र : आश्रम : 0294-2411788, ब्र. फूलचंदजी लुहाड़िया : 09214-619617, झामकलालजी टाया : 2410857
6. मुनिश्री समतासागर जी, ऐलक श्रीनिश्चयसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, परवारपुरा,

- इतवारिया, नागपुर(महाराष्ट्र)। संपर्क सूत्र : कार्यालय : 0712-2767370, भीकमचंदजी : 2776156
7. मुनि श्री स्वभावसागर जी, क्षु. श्री प्रशांतसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, शुजालपुर मंडी, जि. शाजापुर (म.प्र.)। संपर्क सूत्र : राजेन्द्र कुमार जैन(अध्यक्ष), डॉ. के.के. जैन : 07360-242508
 8. मुनिश्री सरलसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दि. जैन सिद्धक्षेत्र, पवाजी(उ.प्र.)। संपर्क सूत्र : 0517-2705016, ज्ञानचंदजी जैन (अध्यक्ष) : 94155-90646।
 9. मुनिश्री प्रमाणसागर जी, क्षुल्लकश्री सम्यक्त्वसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दि. जैन मंदिर, 13 नं. हाता, तेरापंथी कोठी, मधुवन, सम्मेदशिखरजी, जि. गिरीडीह (झारखण्ड)। संपर्क सूत्र : नीलेश जैन : 094315-05967, फोन : 232415, 06558-23292
 10. मुनिश्री आर्जवसागर जी, क्षुल्लक अर्पणसागरजी।
चातुर्मास स्थली : श्री दि. जैन मंदिर, राँची(झारखण्ड)। संपर्क सूत्र : धर्मचंदजी रारा : 0651-2209286, 94311-70479
 11. मुनिश्री पवित्रसागर जी, मुनिश्री प्रयोगसागरजी।
चातुर्मास स्थली : श्री. पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, बरगी, जि. जबलपुर (म.प्र.)। संपर्क सूत्र : 0761-2860536, संतोष जैन : 2860190
 12. मुनि श्री चिन्मयसागर जी, क्षुल्लकश्री सुपार्श्वसागरजी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन समवसरण मंदिर श्राविकाश्रम, कंचनबाग, इंदौर(म.प्र.)। संपर्क सूत्र : माणकचंदजी बाकतीवाल : 0731-2537901, आजादजी जैन : 94253-21151, ट्रस्ट : 2524404, आश्रम : 2516770, 2529945
 13. मुनिश्री पावनसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, झाझी रामपुरा, जि. दौसा (राजस्थान)। संपर्क सूत्र : सुबोध जैन (एडवोकेट) : 01420222327
 14. मुनिश्री सुखसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, हासन(कर्नाटक)। संपर्क सूत्र : श्री महावीर भैया,
- बेड़की हॉल (08338-262244)

15. मुनिश्री मार्दवसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, गैरतगंज, जि. रायसेन(म. प्र.)। संपर्क सूत्र : कमल सेक्रेटरी : 07481-221146 नीरज : 94254-93393

16. मुनिश्री निर्णयसागर जी, मुनिश्री आगमसागरजी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, गणेशगंज, शाहपुर, जि. सागर(म.प्र.)। संपर्क सूत्र : 07582-282316, 282336

17. मुनिश्री प्रशांतसागर जी, मुनिश्री निर्वेगसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, गोटेगाँव, जि. जबलपुर(म.प्र.)। संपर्क सूत्र : श्री धर्मचंदजी : 07794-283167

18. मुनिश्री विनीतसागर जी, मुनिश्री चंद्रप्रभसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन महावीर भवन, हिंगोली(महाराष्ट्र)। संपर्क सूत्र : अशोक कुमार आगरकर : 02456-224335

19. मुनिश्री प्रबुद्धसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर, सिवनी(म.प्र.) 480661। संपर्क सूत्र : यशोधर दिवाकर : 07692-220109

20. मुनिश्री पायसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर दड़ना, जि. मुण्ड (कर्नाटक)।

21. मुनिश्री अक्षयसागर जी, मुनिश्री सुपार्श्वसागरजी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, शिहटी, जि. कोल्हापुर (महाराष्ट्र)। संपर्क सूत्र : 02322-260117

22. मुनिश्री पुण्यसागर जी महाराज, मुनिश्री नमिसागरजी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, बेलगाँव(कर्नाटक)।

23. मुनिश्री अजितसागर जी, ऐलकश्री निर्भयसागरजी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन नन्हे मंदिर, धगठ चौराहा, असाटी वार्ड, दमोह (म.प्र.) 470661। संपर्क सूत्र : शरद पलन्दी : 07812-221440

24. मुनिश्री पुष्पदंतसागर जी, मुनिश्री कुंथुसागर जी।
चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, तारादेही,

जिला दमोह(म. प्र.)। सम्पर्क सूत्र : अजित चौधरी :

07603-286411, विक्रम चौधरी : 93006-20581

25. आर्थिकाश्री गुरुमति जी, आर्थिकाश्री उज्ज्वलमति जी, आर्थिकाश्री चिन्तनमति जी, आर्थिकाश्री सूत्रमति जी, आर्थिकाश्री शीतलमति जी, आर्थिकाश्री सारमति जी, आर्थिकाश्री साकारमति जी, आर्थिकाश्री सौम्यमति जी, आर्थिकाश्री सूक्ष्ममति जी, आर्थिकाश्री शांतमति जी, आर्थिकाश्री सुशांतमति जी, आर्थिकाश्री जागृतमति जी, आर्थिकाश्री कर्तव्यमति जी, आर्थिकाश्री निष्काममति जी, आर्थिकाश्री शीलमति जी, आर्थिकाश्री असीममति जी, आर्थिकाश्री गौतममति जी, आर्थिकाश्री निर्माणमति जी, आर्थिकाश्री मार्दवमति जी, आर्थिकाश्री मंगलमति जी, आर्थिकाश्री चारित्रमति जी, आर्थिकाश्री श्रद्धामति जी, आर्थिकाश्री उत्कर्षमति जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, सुभाष चौक, अशोकनगर (म.प्र.) 473331। सम्पर्क सूत्र : अध्यक्ष - रमेश चौधरी : 07543-222414, संयोजक - बाबूलाल जैन : 222652, श्री राधेलालजी : 222537, 222998

26. आर्थिकाश्री दृढ़मति जी, आर्थिकाश्री पावनमति जी, आर्थिकाश्री साधनामति जी, आर्थिकाश्री विलक्षणमति जी, आर्थिकाश्री वैराग्यमति जी, आर्थिकाश्री अकलंकमति जी, आर्थिकाश्री निकलंकमति जी, आर्थिकाश्री आगममति जी, आर्थिकाश्री स्वाध्यायमति जी, आर्थिकाश्री प्रशममति जी, आर्थिकाश्री मुदितमति जी, आर्थिकाश्री सहजमति जी, आर्थिकाश्री संयममति जी, आर्थिकाश्री सत्यार्थमति जी, आर्थिकाश्री सिद्धमति जी, आर्थिकाश्री समुन्नतमति जी, आर्थिकाश्री शास्त्रमति जी, आर्थिकाश्री तथ्यमति जी, आर्थिकाश्री वात्सल्यमति जी, आर्थिकाश्री पथ्यमति जी, आर्थिकाश्री संस्कारमति जी, आर्थिकाश्री विजितमति जी, आर्थिकाश्री आप्तमति जी, आर्थिकाश्री स्वभावमति जी, आर्थिकाश्री ध्वलमति जी, आर्थिकाश्री समितिमति जी, आर्थिकाश्री मननमति जी।

चातुर्मास स्थली : श्री गणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय, वर्णी भवन, मोराजी, लक्ष्मीपुरा, सागर (म.प्र.) 470002। सम्पर्क सूत्र : 075582-268393,

234168

27. आर्थिकाश्री मृदुमति जी, आर्थिकाश्री निर्णयमति जी, आर्थिकाश्री प्रसन्नमति जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, कटंगी, जिला - जबलपुर (म.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : ब्र. संजीवजी : 07621-268758, 268443

28. आर्थिकाश्री ऋजुमति जी, आर्थिकाश्री सरलमति जी, आर्थिकाश्री शीलमति जी, आर्थिकाश्री असीममति जी, आर्थिकाश्री गौतममति जी, आर्थिकाश्री निर्माणमति जी, आर्थिकाश्री मार्दवमति जी, आर्थिकाश्री मंगलमति जी, आर्थिकाश्री चारित्रमति जी, आर्थिकाश्री श्रद्धामति जी, आर्थिकाश्री उत्कर्षमति जी।

चातुर्मास स्थली : श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, विद्यानगर, तेंदूखेड़ा, जिला दमोह (म.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : अध्यक्ष = दीपक गोयल : 07603-204191, शैलेन्द्र नायक: 204074

29. आर्थिकाश्री तपोमति जी, आर्थिकाश्री सिद्धांतमति जी, आर्थिकाश्री नप्रमति जी, आर्थिकाश्री विनप्रमति जी, आर्थिकाश्री अतुलमति जी, आर्थिकाश्री पुराणमति जी, आर्थिकाश्री अनुगममति जी, आर्थिकाश्री उचितमति जी, आर्थिकाश्री विनयमति जी, आर्थिकाश्री संगतमति जी, आर्थिकाश्री लक्ष्यमति जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन धर्मशाला, शारदा विद्यापीठ के पास, संजय चौक, पथरिया, जिला दमोह (म.प्र.) 470666। सम्पर्क सूत्र : पदमचंद फट्टा (अध्यक्ष): 242262, नरेन्द्र जैन करवना वाले : 242279, ऋषभ सिंघई: 07601-242375, ताराचंद जैन : 242286

30. आर्थिकाश्री गुणमति जी, आर्थिकाश्री ध्येयमति जी, आर्थिकाश्री आत्ममति जी, आर्थिकाश्री संयतमति जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दि. जैन मंदिर, शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : दामोदर सेठ : 07583-259744

31. आर्थिकाश्री प्रशांतमति जी, आर्थिकाश्री विनतमति जी, आर्थिकाश्री शैलमति जी, आर्थिकाश्री विशुद्धमति जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दि. जैन मंदिर, कुरवाई, जिला

- विदिशा (म. प्र.)। सम्पर्क सूत्र : शिवकुमार गुड़ा : 247252, धर्मशाला : 07593-247392
32. आर्यिकाश्री पूर्णमति जी, आर्यिकाश्री शुभ्रमति जी, आर्यिकाश्री साधुमति जी, आर्यिकाश्री विशदमति जी, आर्यिकाश्री विपुलमति जी, आर्यिकाश्री मधुरमति जी, आर्यिकाश्री कैवल्यमति जी, आर्यिकाश्री सतर्कमति जी। चातुर्मास स्थली : श्री दि. जैन खंडेलवाल भवन, बड़ा जैन मंदिर रोड, दुर्ग (म. प्र.) 491001। सम्पर्क सूत्र : प्रदीप बाकलीवाल : 998271-61611, प्रकाशजी : 94252-47683, 0788-2323111
33. आर्यिकाश्री अनंतमति जी, आर्यिकाश्री विमलमति जी, आर्यिकाश्री निर्मलमति जी, आर्यिकाश्री शुक्लमति जी, आर्यिकाश्री आलोकमति जी, आर्यिकाश्री संवेगमति जी, आर्यिकाश्री निर्वेगमति जी, आर्यिकाश्री सविनयमति जी, आर्यिकाश्री समयमति जी, आर्यिकाश्री शोधमति जी, आर्यिकाश्री शाश्वतमति जी, आर्यिकाश्री सुशीलमति जी, आर्यिकाश्री सुसिद्धमति जी, आर्यिकाश्री सुधारमति जी, आर्यिकाश्री उदारमति जी, आर्यिकाश्री संतुष्टमति जी, आर्यिकाश्री निकटमति जी, आर्यिकाश्री अमितमति जी, आर्यिकाश्री अविकारमति जी माताजी। चातुर्मास स्थली : श्री दि. जैन धर्मशाला, थाने के सामने, कटनी (म. प्र.)। सम्पर्क सूत्र : श्रीमती शिमला जैन (प्रतिनिधि) : 07622-404269
34. आर्यिकाश्री कुशलमति जी, आर्यिकाश्री धारणामति जी। चातुर्मास स्थली : श्री दि. जैन बड़ा मंदिर, जैसी नगर, जिला सागर (म. प्र.) 470125। सम्पर्क सूत्र : राजेन्द्रजी पड़रिया वाले (अध्यक्ष) : 07584, 07584-270268, 270292, 270267, 94256-56399
35. आर्यिकाश्री प्रभावनामति जी, आर्यिकाश्री भावनामति जी, आर्यिकाश्री सदयमति जी, आर्यिकाश्री भक्तिमति जी। चातुर्मास स्थली : श्री दि. जैन उदासीन आश्रम, इंसरी, जिला गिरीडीह (झारखण्ड)। सम्पर्क सूत्र : आश्रम : 06558-233158
36. आर्यिकाश्री आदर्शमति जी, आर्यिकाश्री दुर्लभमति जी, आर्यिकाश्री अंतरमति जी, आर्यिकाश्री अनुनयमति जी, आर्यिकाश्री अनुग्रहमति जी, आर्यिकाश्री अक्षयमति जी,
- आर्यिकाश्री अमूर्तमति जी, आर्यिकाश्री अखंडमति जी, आर्यिकाश्री अनुपममति जी, आर्यिकाश्री अनर्धमति जी, आर्यिकाश्री अतिशयमति जी, आर्यिकाश्री अनुभवमति जी, आर्यिकाश्री आनंदमति जी, आर्यिकाश्री अधिगममति जी, आर्यिकाश्री अमन्दमति जी, आर्यिकाश्री अभेदमति जी, आर्यिकाश्री श्वेतमति जी, आर्यिकाश्री उद्घोतमति जी, आर्यिकाश्री स्वस्थमति जी, आर्यिकाश्री गंतव्यमति जी, आर्यिकाश्री सवंरमति जी, आर्यिकाश्री पृथ्वीमति जी, आर्यिकाश्री निर्मदमति जी, आर्यिकाश्री विनीतमति जी, आर्यिकाश्री मेरुमति जी, आर्यिकाश्री परमार्थमति जी, आर्यिकाश्री ध्यानमति जी, आर्यिकाश्री विदेहमति जी, आर्यिकाश्री अवायमति जी, आर्यिकाश्री अदूरमति जी।
- चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, पिसनहारी की मढ़िया, जबलपुर (म.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : मढ़ियाजी : 0761-2672827, गुरुकुल : 2672991, नंदीश्वर द्वीप : 2370229, ब्राह्मी विद्या आश्रम : 3201159
37. आर्यिकाश्री अपूर्वमति जी, आर्यिकाश्री अनुत्तरमति जी, आर्यिकाश्री अगाधमति जी। चातुर्मास स्थली : श्री पाश्वनाथ दिगम्बर जैन युगल मंदिर, मडावरा, तह महरौनी, जि. ललितपुर (उ.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : डॉ. राजेश सिंघई (महामंत्री) : 05172-230238, 230291, 230322
38. आर्यिकाश्री उपशांतमति जी, आर्यिकाश्री ओंकारमति जी, आर्यिकाश्री परममति जी, आर्यिका चेतनमति जी। चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, दलपतपुर, जिला सागर (म.प्र.)।
39. आर्यिकाश्री अकंपमति जी, आर्यिकाश्री अमूल्यमति जी, आर्यिकाश्री आराध्यमति जी, आर्यिकाश्री अचिन्त्यमति जी, आर्यिकाश्री अलोल्यममति जी, आर्यिकाश्री अनमोलमति जी, आर्यिकाश्री आज्ञामति जी, आर्यिकाश्री अचलतमति जी, आर्यिकाश्री अवगममति जी।
- चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर, सुभाष वार्ड, गढ़ाकोटा जि. सागर (म.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : अशोक जैन : 07584-258846
40. आर्यिकाश्री सुनयमति जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन सिद्धक्षेत्र सोनागिरि, भट्टारक कोठी, जि. दतिया (म.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : 07522-262222

41. आर्थिकाश्री सत्यमति जी, आर्थिकाश्री सकलमति।

चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन आश्रम, सागवाड़ा, झंगरपुर (राजस्थान)। सम्पर्क सूत्र : जया कोठारी : 02966-252700

42. ऐलकश्री दयासागर जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन महावीर विहार, स्टेशन रोड, गंजबासौदा, जि. विदिशा (म.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : महावीर विहार : 07594-220464, सतीश जैन : 221515

43. ऐलकश्री निशंकसागर जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, जवरीबाग, नसिया, इंदौर (म.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : महेन्द्र जैन (संयोजक) : 98270-97163, राकेश जैन (सह संयोजक) : 9826213535, कार्यालय : 0731-2460989, 2466274

44. ऐलकश्री उदारसागर जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन सिद्धक्षेत्र, फलहोड़ी, बड़गाँव (धसान), जि. टीकमगढ़ (म.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : हुकुमचंद हटैया : 07583-257037

45. ऐलकश्री सिद्धांतसागर जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन पार्श्वनाथ मंदिर, ग्रेटर विजयनगर, श्री दिगम्बर जैन पञ्चबालयति मंदिर, बॉम्बे हॉस्पिटल के पास, इंदौर (म.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : प्रियदर्शनी जैन (अध्यक्ष) : 98260-80490,

पंचबालयति मंदिर : 0731-2570689, ब्र. जिनेश मलैया : 094253-51764

46. ऐलकश्री संपूर्णसागर जी।

चातुर्मास स्थली : श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, धामपुर, जि. बिजनौर (उ.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : अनिल जैन (अध्यक्ष) : 9897743075, सुभाष जैन : 98970-20342

47. ऐलकश्री नम्रसागर जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, डेरा पहाड़ी, पुराना पत्ता नाका, छतरपुर (म.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : 07682-244915, संजीव बांसल : 248942, 98267-61313

48. क्षुल्लकश्री ध्यानसागर जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन मंदिर, उस्मानपुरा, अहमदाबाद (गुजरात)। सम्पर्क सूत्र : कार्यालय : 079-27559084

49. क्षुल्लकश्री पूर्णसागर जी।

चातुर्मास स्थली : श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, मझौली, जि. जबलपुर (म.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : प्रसन्न जैन : 07624-244845, नेमचंदजी : 244475

50. क्षुल्लकश्री नयसागर जी।

चातुर्मास स्थली : श्री दिगम्बर जैन पंचायती बड़ा मंदिर, गाँधी रोड, झाँसी (उ.प्र.)। सम्पर्क सूत्र : संतोष कुमार जैन : 94159-43290, अजितकुमार जैन : 94150-04976

आचार्यश्री से दीक्षित - 79 मुनिश्री, 165 आर्थिकाएँ, 8 ऐलकश्री, 5 क्षुल्लकजी = 257 कुल।

- जो सज्जन अपने गुणों के द्वारा तीनों लोकों को आनंदित किया करते हैं, उनको देखकर स्वभाव से दुष्ट दुर्जन मनुष्य क्रोध करते हैं।

The virtuous ones who, through their virtues add to the bliss of three *lokas*, rouse anger among those who, by nature, are wicked.

- क्रोध अनेक पापों का जनक है; उसका परित्याग करके जीवदया में प्रवृत्त होना चाहिए। Anger sires several sins. It must be renounced and kindness towards all the living beings adopted.

वीरदेशना

समाचार

प्रसिद्ध शाकाहार विशेषज्ञ डा. चिरोंजी लाल बगड़ा
अहिंसारत्न उपाधि से अलंकृत

कोलकाता। दिगम्बर जैन समाज के विशिष्ट कार्यकर्ता शाकाहार, अहिंसा एवं जीवदया क्षेत्र के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ डा. चिरोंजीलाल बगड़ा को भगवान पाश्वर्नाथ निर्वाण महोत्सव समिति के तत्वाधान में उनके द्वारा किए गये अभूतपूर्व सेवाकार्यों हेतु विशाल जनसमुदाय के समक्ष श्री पाश्वर्नाथ दिगम्बर जैन उपवन मंदिर बेलगछिया में आयोजित एक विशेष समारोह में 'अहिंसारत्न' उपाधि से सम्मानित किया गया।

गौरव के क्षण

श्री दिगम्बर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, सांगानेर के चार शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय देते हुए, प्रथम प्रयास में ही चयनित हो गए हैं। श्री सौरभ कुमार जैन, श्री आशीष कुमार जैन, श्री अनंत बल्ले ने जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन एवं गांधी दर्शन से तथा श्री पुलक गोयल ने प्राकृत विषय से यह पात्रता प्राप्त की। संस्थान के 9 स्नातक छात्रों ने शिक्षा शास्त्री में प्रवेश प्राप्त किया है। विनीत जैन भोपाल से, राकेश जैन एवं प्रशांत जैन रायपुर से, उमेश जैन, राजेश जैन, आशीष जैन एवं आलोक जैन श्रृंगेरी से तथा विनोद बेलोकर एवं प्रतीष काले पूना से शिक्षा शास्त्री का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में बढ़ते हुए संस्थान के स्नातक छात्रों की प्रगति को देखकर संस्थान परिवार गौरवान्वित है।

ग्रीष्म कालीन शिविर में महती धर्म प्रभावना

श्री दिगम्बर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, सांगानेर की ओर से इस वर्ष भी ग्रीष्मकालीन अवकाश में प्राचार्य डॉ. शीतलचन्द्र जैन के सफल निर्देशन तथा पं. रत्नलाल बैनाड़ी के मार्गदर्शन में बारामती, कोपरगांव, बेलगांव, किशनगढ़, उदयपुर, बीना, फलटण, लोहारिया, पूना, हुपरी, रेवाड़ी, कोथली, करकंब, धूलिया, पट्टन कोडोली, औरंगाबाद, करमाला, पैठण, पंढरपुर, कुर्झवाड़ी, दहिगांव, भिगवण, सतारा, कन्नड़, मोडनिंब, हारूली, वार्शी एवं जयपुर के विभिन्न

स्थानों में धार्मिक शिक्षण शिविर सम्पन्न हुए। इन धार्मिक शिविरों में तत्त्वार्थ सूत्र, द्रव्यसंग्रह, रत्नकरण्डक श्रावकाचार, इष्टोपदेश, भक्तामर स्तोत्र, सामायिक पाठ समयसार, छहढाला, जैन धर्म शिक्षा भाग-1 व 2, जिज्ञासा समाधान एवं करणानुयोग भाग-1 का अध्ययन कराया गया।

योग एवं वास्तु का प्रशिक्षण पं. फूलचन्द जैन योगाचार्य, छत्तरपुर एवं पं. भरत जैनदर्शनाचार्य, रजवांस द्वारा दिया गया। शिविरों में लगभग 8000 शिविरार्थियों ने लाभ लिया।

पुलक गोयल, सांगानेर

देश विदेश में धर्म प्रचार

श्री दिगम्बर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, सांगानेर के अध्यापक श्री सौरभ कुमार जैन दशलक्षण पर्व के शुभ अवसर पर धर्म प्रचारार्थ कनाडा जा रहे हैं तथा श्री राकेश कुमार जैन कुबैत जा रहे हैं। संस्थान परिवार ने प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी लगभग 125 स्थानों पर विद्वान भेजने का निर्णय किया है।

सूचना

श्री दिगम्बर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के एक विद्वान् स्वामी कुमार विरचित कार्तिकेयानुप्रेक्षा का एवं उस पर लिखी गयी आचार्य शुभचन्द्र जी का संस्कृत टीका का शब्दशः हिन्दी अनुवाद करना चाहते हैं। यदि इस कार्य को पहले किसी के द्वारा सम्पन्न किया गया हो अथवा वर्तमान में इस पर कोई कार्य कर रहे हों तो कृपया निम्नलिखित पते पर सूचित कर अनुगृहीत करें।

अधिष्ठाता

श्री दिगम्बर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान
बीरोदय नगर, सांगानेर, जयपुर (राज.)

फोन. 0141-2730552

प्राकृत में प्रथम लघु शोध प्रबन्ध

दि. जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में अध्यापन करा रहे पं. पुलक गोयल प्राकृताचार्य ने प्राकृत भाषा में लघुशोध प्रबन्ध लिखकर प्राकृत को पुनः जीवन्त करने का प्रयास किया है। “पाइय गंथेसु गुणद्वाणः अञ्जयणः” शीर्षक से यह लघुशोध प्रबन्ध श्री दिगम्बर जैन आचार्य महाविद्यालय

के प्राचार्य डॉ. श्री शीतलचन्द जैन के निर्देशन में लिखा गया है। प्राकृत भाषा में निबद्ध 85 पृष्ठीय इस रचना को विद्वत् समाज की प्रशंसा प्राप्त हो रही है।

सौरभ कुमार जैन “जैनदर्शनाचार्य”

आज ही मंगायें

स्वतंत्रता संग्राम में जैन (प्रथम खण्ड)

द्वितीय संस्करण

विशेषताएँ - पूर्णतः परिवर्तित और परिवर्धित 20 जैन शहीदों, उ.प्र., छत्तीसगढ़ व राजस्थान के 750 जैन जेलयात्रियों, संविधान सभा के छह जैन सदस्यों आदि का परिचय, 325 फोटोग्राफ व 50 रेखाचित्र, आर्ट पेपर पर छपे 528 पृष्ठ, आकर्षक मुद्रण, सीमित प्रतियाँ

प्रकाशक - सर्वोदय फाउण्डेशन, खतौली। मूल्य (लागत मात्र) रु. 300/- (पुनः प्रकाशनार्थ)

प्राप्ति स्थान - (1) डॉ. ज्योति जैन, मंत्री-सर्वोदय फाउण्डेशन, रेलवे रोड, खतौली-251201 (जिला-मुजफ्फरनगर) उ.प्र., फोन - 01369 - 27339, 941268256। (2) श्री दि. जैन पंच बालपति मन्दिर, बाब्बे हॉस्पिटल के पास, ए.बी.रोड, इन्दौर (म.प्र.) (3) ऋषभदेव ग्रन्थमाला, श्री दि. जैन अतिशय क्षेत्र मन्दिर संघीजी, पो. सांगानेर, जयपुर(राज.) 0141-2730390 (4) श्री दि. जैन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, दिल्ली 011-23253638 (5) जैन विद्या संस्थान, श्री महावीर जी (राज.)।

सांगानेर की भगवान ऋषभदेव ग्रन्थमाला का दिल्ली के बीर सेवा मन्दिर में स्थापित हुआ विक्रय केन्द्र

संतशिरोमणि आचार्य विद्यासागरजी महाराज के आशीर्वाद एवं मुनि पुण्य श्री सुधासागरजी महाराज की पावन प्रेरणा से दिल्ली क्षेत्र के धर्मर्थी एवं साहित्यप्रेमी महानुभावों की आवश्यकताओं की सहजता से पूर्ति हेतु भगवान ऋषभदेव ग्रन्थमाला, सांगानेर ने बीर सेवा मन्दिर, दरियांगंज, दिल्ली में एक एक्सटेंशन सेल काउंटर का उद्घाटन रविवार,

दिनांक 30.07.2006 को किया। इस संस्था का प्रयास है कि सम्पूर्ण भारतवर्ष की प्रमुख प्रकाशकों की पुस्तकें शास्त्र आदि यहां के निवासियों को सहजता से मिल सकें।

निर्मल कासलीवाल
मानद मंत्री

कुंडलपुर के बड़े बाबा नए मंदिर में ही रहेंगे।
पुरातत्त्व विभाग की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने
खारिज की

प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर में बड़े बाबा मंदिर निर्माण के संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा 20 मई को पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध पुरातत्त्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। 21 जुलाई को इस याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एच.के. सीमा एवं ए.के. नायर की खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया है। इसी के साथ कुंडलपुर पहाड़ी के नए मंदिर में विराजमान बड़ेबाबा के मंदिर निर्माण का कार्य हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पूरा होने का रास्ता भी साफ हो गया।

तृतीय स्थापना दिवस पर शांति विधान एवं विद्वत्संगोष्ठी

जबलपुर 20 जुलाई 06 साहित्याचार्य डॉ. पं. पन्नालाल जैन संस्थान के तृतीय स्थापना दिवस पर मुनि श्री प्रवचन सागर सभागृह संजीवनी नगर जबलपुर में प्रातः बेला में वृहत् नवग्रह शांति विधान का आयोजन विद्वान् ब्र. प्रदीप शास्त्री “पीयूष” के आचार्यत्व में संपन्न हुआ।


द्वितीय सत्र में दोपहर 2 बजे से विद्वत् संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न नगरों से आमंत्रित विद्वानों ने अपने उद्बोधन प्रस्तुत किये। कार्यक्रम की अध्यक्षता पं. भागचंद्र जैन “भागेन्दु” जी ने की।

सुरेश जैन सरल

जो अधम मनुष्य अभिमान में चूर होकर श्रेष्ठ विचार नहीं करता, ऐसे मनुष्य का विद्वान् जन दूर से ही परित्याग कर दिया करते हैं।

The vile one who, blinded by his pride, does not engage in the sublime contemplation, is abandoned altogether by the wise.

वीरदेशना



● मुनि श्री योगसागर जी

श्री सुमति स्तवन

(द्रुतविलम्बित छन्द)

1

गगन-सा तब जीवन स्वच्छ है।
दुरित बादल ना लवलेश है॥
परम भास्कर तो द्युतिमान है।
सुमतिनाथ सु नाम यथार्थ है॥

2

परम ज्योति सदा जयवन्त ये।
मुकुर-सा झलके सब वस्तु ये॥
यह अकम्प शिखा अविनाशनी।
अघ-विनाशक शान्ति प्रदायनी॥

3

रसभरी तब दिव्य-ध्वनी खिरी।
अमृत की घनघोर घटा झरी॥
वह तृष्णा सब की हरती रही।
सहज ही सब तन्मय हो रही॥

4

युगल पादसरोज प्रणाम है।
मुकुट-बद्ध सुरासुर गा रहे॥
जगत्रयी सुख वैभव पाद है।
जलज सा जल से तुम भिन है॥

5

सतत वन्दन उत्तम भाव से।
सुमति हो मम बुद्धि विशुद्ध से॥
जगत-तारक कर्म निवारिये।
भ्रमण में बहु काल बिता दिये॥

श्री पश्चप्रभ स्तवन

(वसन्ततिलका छन्द)

1

ज्यों पद्मराग मणि-सा गाए चारू।
सौंदर्यपूर्ण नवजीवन को निहाँ॥
निर्ग्रन्थ रूप शिवमार्ग दिखा रहा है।
संसार-तारक जहाज यही रहा है॥

2

ज्यों पद्मपंकज सरोवर में खिले हैं।
आमोद से भ्रमर के दल आ रहे हैं॥
त्यों पद्म तीर्थकर धर्म प्रभावकारी।
भव्यात्म के दल समूह प्रसन्नकारी॥

3

त्रैलोक्य पूज्य परमोत्तम ज्ञानसूर्य।
है निर्विकल्प विमलेश अनन्तवीर्य॥
आल्हाद अक्षय अनन्त अपूर्व शान्ति।
है कोटि चन्द्र रवि से द्युतिमान कान्ति॥

4


मैं पंच पाप करके बहु दुःख पाया।
अज्ञान से स्वयम् संसृति में गिराया॥
सौभाग्य का उदय है तब दर्श पाया।
मेरा अनादि अघ का अब अन्त आया॥

5

तारे भले विपुल हो तम ना मिटायें।
त्यों धर्म भी विविध है शिव ना दिलाये॥
ये वीतराग धर्म यथार्थता है।
ये स्वर्ग मोक्ष भवदुःख निवारता है॥

प्रस्तुति - रतनचन्द्र जैन


श्री सम्मेद शिखरजी में पूज्य मुनिश्री प्रमाणसागर जी महाराज के सान्निध्य में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन



संतशिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागरजी महाराज के परम प्रभावक शिष्य युवा मुनि श्री 108 प्रमाणसागर जी महाराज के ससंग सान्निध्य में तीर्थराज श्री सम्मेदशिखर स्थित श्री दिगम्बर जैन तेरहपंथी कोठी में ब्रह्मचारी श्री अनू भैया एवं ब्र. श्री रोहित भैया के निर्देशन में आगामी पर्वराज पर्युषण के अवसर पर दि. 28 अगस्त से 6 सितम्बर 2006 तक बृहद् श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

पूज्य मुनि श्री प्रमाणसागर जी महाराज के सान्निध्य में आयोजित इस श्रावक संस्कार शिविर में प्रातः 4.00 बजे से रात्रि 9.30 बजे पर्यन्त संयम एवं साधना के साथ श्रावकों को संस्कारों का शिक्षण एवं ज्ञान कराया जायेगा। शिविर के बृहद् दिनव्यापी कार्यक्रम इस प्रकार हैं –

प्रातः 4 बजे से 9 बजे तक – जागरण, प्रार्थना, ध्यान, सुप्रभात वाणी एवं सामूहिक पूजन अभिषेक। प्रातः 10 बजे आहार चर्या। 11 बजे विश्राम, 12 बजे से सामायिक। दोपहर 1 बजे पूज्य मुनि श्री प्रमाणसागर जी महाराज द्वारा शिक्षण एवं 2.30 बजे से मुनिश्री का मंगल प्रवचन। अपराह्न 4 बजे अल्पाहार। संध्या 5 बजे से प्रतिक्रमण सामायिक। संध्या 6 बजे से आचार्य भक्ति एवं शंका समाधान। 7 बजे से सामूहिक आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम।



शिविरार्थियों के लिए शुद्ध भोजन, धोती दुपट्टा तथा पुस्तक आदि की ओर से की गई है।

समस्त श्रद्धालु धर्मप्रेमी भाई बहनों से निवेदन है कि तीर्थराज के दर्शन-वन्दन के साथ-साथ पूज्य मुनिश्री के सान्निध्य में आयोजित इस मणिकांचन योग का लाभ उठाकर अपने आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इच्छुक महानुभाव शीघ्र ही सम्पर्क कर अपना स्थान आरक्षण करवा लेवें।

सम्पर्क करें : महामंत्री - छीतरमल पाटनी - 9431140416 वर्षायोग कार्यालय - 9431532385 एवं 9431973918 एवं अजीत पाटनी कोलकाता - 9339756995 मुनि श्री 108 प्रमाणसागर जी महाराज वर्षायोग समिति।

पारसनाथ स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव

समस्त समाज को जानकर प्रसन्नता होगी कि कोलकाता दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस दि. 1 अगस्त 2006 से पारसनाथ स्टेशन पर रुकना प्रारम्भ हो रही है। पूर्व रेलवे की विज्ञप्ति के अनुसार नई दिल्ली से हावड़ा 2302 डा. राजधानी एक्सप्रेस प्रातः 6-19 पर पारसनाथ रुकेगी तथा 2301 अप हावड़ा से नई दिल्ली जानेवाली राजधानी एक्सप्रेस रात्रि 8-23 बजे पारसनाथ रुकेगी। दोनों गाड़ियों का 2-2 मिनट का ठहराव यहाँ दिया गया है। तथा यह व्यवस्था 1 अगस्त से 6 महीनों तक अभी प्रयोग के तौर पर प्रारम्भ की गई है। यात्रियों की उपलब्धता रहने पर ठहराव स्थाई रूप से हो सकता है। पारसनाथ (शिखरजी) आने जाने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि हावड़ा-दिल्ली एवं दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

अजीत पाटनी